

MC 35

Up Dated Sept.2019.

PCPO's Sl.No.237/2019

No .E/234/0/ECR/HJP

Dated:- 2.12.2019

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पू.म.रे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/ मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/ समस्तीपुर/ हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे/ मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/ विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/ मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकाय्याधी/कार्याधी/पू.म.रे/हाजीपुर।

विषय : Retirement.

संदर्भ: Railway's Boards Lt. No E(P&A)I-2019/RT-10 Dt.. 30.09.2019

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.



(सौरभ सावर्ण) 3.12.19

वकाधि/ई.एस.एम

कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ईसीआ.केयू/पू.म.रे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस0.सी0./एस0.टी0./एशोसिएशन/पू.म.रे/हाजीपुर।
3. वकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे/हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पू.म.रे/हाजीपुर।

9 OCT 2019

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

074027

17 OCT 2019

रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं. 78

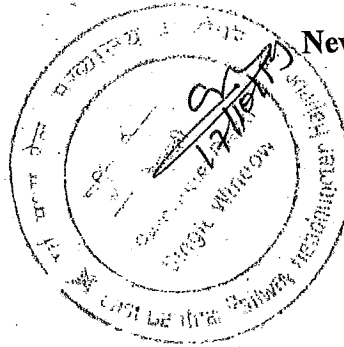
(RAILWAY BOARD/रेलवे बोर्ड)

No. E(P&A)I-2019/RT-10

New Delhi, dated 30.09.2019

The General Managers,
All Indian Railways
(As per mailing list)

Sub:- Retirement.



Please find enclosed herewith a copy of Master Circular No. 35 (bilingual) updated in September, 2019 regarding Retirement, for information and necessary action.

DA: As above.

(N P Singh)

Joint Director/Estt.(P&A)
Railway Board.

No. E(P&A)I-2019/RT-10

New Delhi, dated 30.09.2019

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
2. The General Secretary, NFIR, R.No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.(with 35 spares).
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.(with 60 spares).
4. The Secretary General, FROA, R.No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.(with 5 spares).
5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officer Association, R.No.402, Rail Bhawan (with 5 spares).
6. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF, Room No.341-C, Railway Board.
8. The President, Indian Railway Class II Officer Association.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
11. The Secretary General, AIRPF Association.
12. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, R.No.8, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
13. All India OBC Railway Employee's Association.
14. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Raod, Gurgaon.
15. The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.

for Secretary, Railway Board

Please Circulate

17.10.19

18.10.19

18.10.19

Routing

प्रमुख/प्रशा
मुकाधि प्रशा
मुकाधि/आईआर
उप मुकाधि/राज
उप मुकाधि/मा
उप मुकाधि/आईआर
न/प्रिडम
मुकाधि
न/प्रिडम



भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड Railway Board)

सेवानिवृत्ति

पर

मास्टर परिपत्र - 35
(सितम्बर 2019 को अद्यतन)

Master Circular - 35
(Updated on September 2019)

On

RETIREMENT

GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)
MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)
(RAILWAY BOARD/रेलवे बोर्ड)

No. E(P&A)I-2019/RT-10

New Delhi, dated 09 September 2019

The General Managers,
All Indian Railways
(As per mailing list)

Sub.:- Retirement.

Ref:- Railway Board's letter No. E(P&A)I-91/RT-2/Master Circular dated 19.09.1991.

Presently the instructions on the subject – 'Retirement of railway servants', issued by Railway Board from time to time are contained in several letters/circulars. The last Master Circular on the subject was issued vide Board's letter No. E(P&A)I-91/RT-2/Master Circular dated 19.09.1991. Railway Board has now decided to review and consolidate these instructions into a single body as an updated Master Circular, as below, for the information and guidance of all concerned.

General:

2. Retirement from service means a Railway servant ceasing to be in service. The various modes by which the services of a Railway servant may come to an end are: -

- i. Normal retirement on superannuation;
- ii. Retirement due to medical invalidation;
- iii. Premature retirement ordered in the public interest; and
- iv. Premature/Voluntary retirement on his/her own option.

A - Normal Retirement.

3. Every Railway servant barring those mentioned in paras 3.1 and 3.2 below shall retire from service on attaining superannuation i.e. the age of sixty years.

(Ref:-Board's letter No. E(P&A)I-98/RT-6 dated 14.05.1998 (RBE No. 103/98 and Rule 1801 (a) - Indian Railway Establishment Code, Vol. II/1987)

3.1. Lecturers of Railway Degree College, Lallaguda, S.C. Railway shall retire from service on attaining the age of 65 years.

(Ref:- Board's letter No. E(P&A)I-2007/RT-8 dated 13.12.2007 (RBE No. 161/2007)

3.2. The age of superannuation of Doctors belonging to IRMS and Dental Doctors under the Ministry of Railways shall be sixty-two (62) years unless they exercise the option of posting to a Clinical post depending upon their expertise and experience, as decided by the Competent Authority in the Ministry of Railways from time to time, in case they desire to continue in their service upto the age of sixty-five (65) years.
(Ref:- Board's letter No. E(P&A)I-2016/RT-16 dated 20.09.2018. (RBE No. 144/2018))

happens to t
railway ser
railway ser
actually rel
his/her phy
(Ref: Rail

Retireme

Date of normal retirement:

4. The date of retirement will be based on the date of birth of the Railway servant as recorded in his/her Service Book/Service Register and will be as under: -

Date of birth

1st of a month

Any other date of a month

Date of retirement on attaining 60/62/65 years of age.

Afternoon of the last day of the preceding month.

Afternoon of the last day of that month.

(Ref: Board's letters No. PC-III/73/RT/4 dated 18.12.1973, 20.5.1974 and 2.8.1974 and E(P&A)I-2016/RT-16 dated 20.02.2019 (RBE No. 30/2019).)

4.1 In other cases of retirement viz., retirement due to medical unfitness or invalidation, premature retirement, voluntary retirement, the provision given in Para 4 above will not apply.

Relinquishment of charge

5. Retirement from service on attaining the age of superannuation is automatic and in the absence of specific orders to the contrary by the competent authority, a Railway servant must retire on the due date and cannot take advantage of non-receipt of formal orders regarding his/her retirement, relief etc.

It is the responsibility of the Administrative authorities concerned to ensure that the Railway servants under their control retire on the due date on attaining the age of superannuation. The Railway servant, on his/her part, is also required to bring the fact that he/she is attaining the age of superannuation to the notice of the Head of the Office in which he/she is serving and make over charge on the due date to his/her reliever, or to any other railway servant who may be nominated.

(Ref:- Board's letter No. E(P&A)I-79/EM 1/2 dated 7.5.1979)

5.1 The administrative authorities concerned should ensure that the machinery under their control is suitably geared to maintain the personal records of Railway servants up-to-date at all times to guard against any eventuality of retaining a railway servant irregularly, beyond the age of superannuation.

(Ref: Board's letter No. E(G)78/RT 2/10 dated 3.7.1978).

Relinquishment of charge when the date of retirement happens to be holiday.

6. The retiring Railway servant should formally relinquish charge of the post/office on the afternoon of the last day of the month in which his/her retirement falls, even if that day

happens to be a holiday. Where handing over of cash/ stores/ material is involved, the retiring railway servant should make over these to the relieving railway servant or to any other railway servant nominated by the administration on the close of the previous working day and actually relinquish charge on the last day of the month (which is a holiday) for doing of which his/her physical presence in the office need not be insisted upon.

(Ref: Railway Board's letter No. PC-III/73/RT/4 dated 6.6.1977)

Retirement of a railway servant under suspension:

7. A pensionable railway servant under suspension should be retired on the due date of superannuation even if the inquiries into the charges, against him/her are still in progress.

7.1 In the case of non-pensionable railway servants the competent authority will have to take a specific decision in each case, on merits, whether or not to continue in service beyond the age of superannuation, railway servants under suspension. In arriving at a decision, the considerations indicated below shall be kept in view. Only in those cases where the prospect of a dismissal is nearly certain with the attendant possibility of denying the employee Government's contribution to Provident Fund, need a railway servant under suspension be retained in service beyond the date of superannuation. In other cases, where dismissals are not likely to result, the railway servants concerned shall be retired on the date of attaining superannuation, subject to withholding of Special contribution to Provident Fund and also postponement of settlement of Government contribution to Provident Fund in terms of Provident Fund Rules, unless there is need for making an exception in any particular case. Departmental proceedings in such cases shall nevertheless be continued and processed to finality expeditiously so that the liabilities established in such proceedings can be adjusted against the Government contribution to Provident Fund held back. While deciding to make exceptions in individual cases for retaining the railway servants beyond the date of superannuation, due regard will have to be paid to the considerations that such employees will have to be paid subsistence allowance during the period of suspension and full pay and allowances to which they would become entitled in the event of their being completely exonerated of the charges against them, and that deductions can be made from the Government Contribution to Provident Fund only in terms of Provident Fund rules.

(Ref: Rule 1801(c) read with Board's orders there under- Indian Railway Establishment Code, Vol. II/1987; 2005 Reprint Edition).

7.2 The authority competent to grant leave may withhold whole or part of cash equivalent of both leave on average pay and leave on half average pay in the case of a railway servant who retires from service on attaining the age of retirement while under suspension or while disciplinary or criminal proceedings are pending against him/her, if in the view of such authority there is a possibility of some money recoverable from him/her on conclusion of the proceedings against him/her. On conclusion of the proceedings, he/she will become eligible to the amount so withheld after adjustment of Railway dues, if any.

(Ref:- Railway Board's letter No. F(E)III/82/LE 1/2 dated 29.12.1983 and F(E)III/2008/LE-1/2 dated 13.04.2010).

B - Retirement due to medical invalidation or incapacity

8. Where a competent authority has reason to believe that a railway servant is suffering from a contagious disease or a mental or physical disability which in the said authority's opinion is interfering with the efficient discharge of duties by the railway servant the said authority may subject the railway servant to a medical examination. If, in the medical examination, the railway servant is declared unfit to continue in service, the competent authority may invalidate and retire him/her from service on medical grounds. If the railway servant is on duty, he/she shall be invalidated from service from the date of relief, which should be arranged without delay on receipt of the report of the medical authority. If, however, the railway servant is granted leave on receipt of the medical authority's report or the railway servant is already on leave, the invalidation and retirement from service will be effective from the date following the date of expiry of the leave/extension of leave, if any, granted.

(Ref: para 2603 - Indian Railway Establishment Manual).

8.1 Railway servants, both permanent and temporary, who are declared medically unfit for service in the posts held by them, but are declared fit for service in posts which fall in a lower medical category are eligible to be continued in service in posts requiring a lower medical standard. Alternative employment is normally provided to such personnel in posts corresponding to their lower medical standard. However, where in the case of temporary employees becoming medically decategorised on account of circumstances not arising out of and in the course of employment alternate employment is not found within the period of leave/ extension of leave/ extraordinary leave granted to the railway servants as admissible under the rules, the employees should be discharged from service. Where the offer of alternative employment (one or more offers) have/ been refused the railway servants concerned should be retired.

(Ref: Rule 304 - Indian Railway Establishment Code, Vol. I/1985)

8.2 A Railway servant who is declared by a Medical Authority to be completely and permanently incapacitated for further service may be granted, suo-motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent of leave salary in respect of both leave on average pay and leave on half average pay, if any, at the credit of the Railway servant on the date of his/her invalidation from service, subject to a maximum of 300 days and the cash equivalent payable shall be the same as in sub-rule (A) (1) (b) of Rule 550.

A Railway servant not in permanent employ or temporary employ of more than 3 years shall not, however, be granted cash equivalent of leave salary in respect of leave on half average pay standing at his/her credit on the date of his/her invalidation from service.

(Ref: Railway Board's letter No. F(E)III/2008/LE-1/2 dated 13.04.2010)

C - Premature retirement

9. Premature retirement means the retirement of, a Railway servant ahead of attaining the age of superannuation either on his/her own volition or because of an order passed by the

competent authority
Railway servant

9.1 The age of the railway servant falling in one of the categories of not less than 10 years thereof:

- a. A Railway servant on temporary employment after he has attained the age of 50 years.
 - b. In any case where the railway servant has attained the age of 50 years and is not eligible for retirement on the basis of the age of 50 years.
 - c. Pensionable service.
 - d. Non-pensionable service.
- (Ref: Rule 2046 (h), 1993)*

9.2 The railway servant shall be eligible for retirement on the basis of the age of 50 years if he has attained the age of 50 years on the date of his/her invalidation from service.

- a. A railway servant who has attained the age of 50 years on the date of his/her invalidation from service.
 - b. 0 years.
 - c. 1 year.
 - d. 1 year.
- (Ref: Rule 2046)*

9.3 The railway servant shall be eligible for retirement on the basis of the age of 50 years if he has attained the age of 50 years on the date of his/her invalidation from service.

9.4 The railway servant shall be eligible for retirement on the basis of the age of 50 years if he has attained the age of 50 years on the date of his/her invalidation from service.

(1)

C

N

the appointing authority is to be given to him/her a notice falling in one or the other of the following categories, from service by giving him/her a notice of not less than three months in writing or by giving him/her pay and allowances in lieu thereof:

- a. A Railway servant in Group 'A' or 'B' service or post working in a substantive or temporary capacity who had entered Government service before the age of thirty five years, after he has attained the age of fifty years;
- b. In any other case, after he/she has attained the age of 55 years.
- c. Pensionable Railway servants after their completing thirty years of qualifying service; and
- d. Non-pensionable Railway servants after their completing thirty years of service.
(Ref: Rule 1802(a), 1803(a), 1804(a) of Estt. Code Vol. II/ 1987 corresponding to Rules 2046 (h), 2046 (k)/Estt. Code Vol. II/1973 & Rule 66 of Railway Services (Pension) Rules, 1993)

9.2 The Railway servants have also a reciprocal right to seek premature retirement from service by giving in writing a notice of not less than three months to the appropriate authority on the same terms as set out in para 9.1 above, i. e.

- a. A Group 'A' or 'B' Railway servant can seek retirement after he/she has attained the age of fifty years if he/she had entered service before thirty five years of age and after he/she has attained the age of fifty five years if he/she had entered service after thirty five years of age;
- b. Other Railway servants can seek retirement after their attaining the age of fifty five years;
- c. Pensionable Railway servants can seek retirement after they have completed thirty years of qualifying service; and
- d. Non-pensionable Railway servants can seek retirement after they have completed thirty years of service.
(Ref: Rule 1802(b), 1803(b), 1804(b) of Estt. Code Vol. II/ 1987 corresponding to Rules 2046-Estt. Code Vol. II/1973 & Rule 66 of Railway Services (Pension) Rules, 1993)

9.3 An order requiring/ permitting a pensionable Railway servant to retire on completion of thirty years of qualifying service should as a rule, not be issued until after the fact of completion of thirty years of qualifying service by the Railway servant has been verified in consultation with the concerned Accounts Officer.

9.4 It is open to the appropriate authority to withhold permission to a Railway servant under suspension, who seeks to retire prematurely by giving the requisite notice. The appropriate authority has also the right to refuse permission even if the Railway servant is placed under suspension after he/she has given the notice for retirement but such right shall be exercised, by the said authority before the expiry of the period of the notice given.
(Ref: Rule 1802(b), 1803(b), and Govt. of India's orders No. (3) below Rule 1805 - Estt. Code Vol. II/1987, Rule 66 of Railway Services (Pension) Rules, 1993)

10.2 Where notice of threat will be treated as remaining payable in lieu of (Ref:- Board

10.3 Military
for purpose
computing
R.II/ 1987.
(Ref:- Boar

10.4 A I
Quarter m
date of ex
notice and
normal re
than a m
month m
(Ref:- B

(i) (a) A Government
accordance
authorities
on average
The case

(b).
graded
pay le

(c). House
Provi
pensi
Provi
and
and
allow
lieu

Mas

(Ref:- Board's letter No. E(P&A)I-79/JCM/DC-3 dated 5.9.1979 and E(P&A)I-98/RT-6 dated 14.05.1998)

retirement sought by a Railway servant will be three months. In the eventuality has, no doubt, the servants concerned, holding permission for absence during the notice period.

(Ref:- Board's letter No. E(P&A)I-83/RT-11 dated 25.10.1982)

Rule 2046(i) or Rule 1803(b)-R.II. Her notice before the appointing authority.

0)

the Railway

, 1804 of IREC (Pension) it should be the basis of pay only statutory servant such as advance, CGHS or the Manual should be made if any, falling

, E(P&A)I-

in writing, containing the due and be granted

I-98/RT-6

10.2 Where a Railway servant prematurely retired by giving salary and allowance in lieu of notice of three months, is reinstated on review on the condition that the intervening period will be treated as dies non, the first three months of such period will be treated as duty and the remaining period as dies-non. There is no need to recover the salary and allowances already paid in lieu of notice.

(Ref:- Board's letter No. E(P&A)I-81/RT-11 (Pt. I) dated 25.10.1982)

10.3 Military service rendered prior to appointment on the Railways, if taken into account for purposes of fixation of pay, seniority, SRPF benefits will also count for the purpose of computing service of 30 years for premature retirement under Rule 1802, 1803 and 1804 - R.II/ 1987.

(Ref:- Board's letter No. E(P&A)I-82/RT-4 dated 6.8.1983)

10.4 A Railway servant, who is prematurely retired and who is in occupation of Railway Quarter may be permitted to retain the accommodation on normal rent for one month from the date of expiry of the period of notice. Where salary and allowances have been given in lieu of notice and the employee is sanctioned leave, retention of accommodation may be allowed on normal rent for the full period of leave subject to a maximum of 4 months. If the leave is less than a month or if no leave is admissible or sanctioned, retention on normal rent for one month may be allowed.

(Ref:- Board's letter No. F(X)I/75/11/8 dated 7.12.1977)

10.5 In cases of premature/voluntary retirements: -

(i) (a) A Railway servant who retires by giving notice to the Government or is retired by the Government by giving him/her notice or pay and allowances in lieu of such notice, in accordance with the terms and conditions of his/her service may be granted, suo-motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent of the leave salary in respect of both leave on average pay and leave on half average pay at his credit, subject to a maximum of 300 days. The cash equivalent payable shall be the same as in sub-rule (A) (1) (b) of Rule 550.

(b). The pension and pension equivalent of other retirement benefits and adhoc relief/graded relief on pension shall be deducted from the leave salary paid for the period of half pay leave, if any, for which the cash equivalent is payable.

(c). The amount so calculated shall be paid in one lumpsum as a onetime settlement. No House Rent Allowance shall be payable.

Provided that if leave salary for the half pay leave component falls short of Pension and other pensionary benefits, cash equivalent of half pay leave shall not be granted;

Provided further that a Railway servant who is retired by Government by giving him/her pay and allowances in lieu of notice, may apply for leave within the period for which such pay and allowances were given, and where he/she is granted leave, the leave salary shall be allowed only for the period of leave excluding the period for which pay and allowances in lieu of notice have been allowed.

(ii). Where the services of a Railway servant are terminated by notice or by payment pay and allowances in lieu of notice, or otherwise in accordance with the terms and conditions of his appointment, he/she may be granted, suo-motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of both leave on average pay and leave on half average pay at his/her credit on the date on which he/she ceases to be in service, subject to a maximum of 300 days and the cash equivalent payable shall be the same as in sub-rule (A) (1) (b) of Rule 550. The amount so calculated shall be paid in one lumpsum as a one-time settlement. No House Rent Allowance shall be payable. In case of re-employed railway servants, the cash equivalent shall be based on the pay drawn exclusive of the pension and pension equivalent of other retirement benefits.

(iii). A Railway servant who is re-employed after retirement may, on termination of his/her re-employment, be granted, suo-motu by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of both leave on average pay and leave on half average pay at his/her credit on the date of termination of his/her re-employment subject to a maximum of 300 days, including the period for which encashment was allowed at the time of retirement and the cash equivalent payable shall be the same as in sub-rule (A) (1) (b) of Rule 550.

(iv). The authority competent to grant leave may withhold whole or part of cash equivalent of both leave on average pay and leave on half average pay in the case of a railway servant who retires from service on attaining the age of retirement while under suspension or while disciplinary or criminal proceedings are pending against him/her, if in the view of such an authority there is a possibility of some money becoming recoverable from him/her on conclusion of the proceedings against him/her. On conclusion of the proceedings he/she will become eligible to the amount so withheld after adjustment of Railway dues, if any.

(Ref:- Railway Board's letter No. F(E)III/82/LE 1/2 dated 29.12.1983 and F(E)III/2008/LE-1/2 dated 13.04.2010)

(v). In the cases of resignation or quitting of service, the railway servant may be granted, suo-motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of leave on average pay at his/her credit on the date of cessation of service to the extent of half of such leave at his/her credit subject to a maximum of 150 days.

(Ref:- Board's letters No. F(E)III/82/LE 1/2 dated 29.12.1983 & F(E)III/2008/LE-1/2 dated 13.04.2010) and PC-IV/86/LE/1 dated 24.10.1986 (RBE 208/1986) and Rule 550-Indian Railway Establishment Code Vol.-I/1985)

D - Voluntary Retirement

11. Based on the recommendations of the Administrative Reforms Commission, the scheme of voluntary retirement of Railway Servants after they have rendered Twenty Years of qualifying service/ service, on proportionate pension and gratuity/proportionate SC to PF, with a weightage upto a maximum of five years towards qualifying service/service has been introduced with effect from 9.11.77. Under this scheme, which is purely voluntary, the initiative rests with the Railway servant and the Govt. does not have the reciprocal right to order on its own retirement of Railway servants.

(Ref:- Board's letter No. E(P&A)I-77/RT-46 dated 9.11.1977)

Once a Railway servant has rendered the minimum qualifying service of twenty years, pension shall be paid at 50% of the emoluments or average emoluments received during the last 10 months, whichever is more beneficial to him.

(Ref:- Board's letter No. F(E)HI/2008/PN1/13 dated 15.09.2008)

Period of notice to be given

11.1 A Railway servant desirous of retiring voluntarily after twenty years of qualifying service/service should give a notice of three months in writing to the appointing authority. A notice of less than three months may also be accepted by the appointing authority in deserving cases and when such less than 3 months notice is accepted in the case of pensionable railway employees, it should be on the specific condition that the railway servant shall not apply for commutation of a part of his/her pension before the expiry of period of notice of 3 months. Before serving the notice of voluntary retirement, a Railway servant should satisfy himself/herself by means of a reference to the appropriate administrative authority that he/she has completed twenty years of service qualifying for pension/ service of twenty years for purposes of Special Contribution to Provident Fund, as the case may be.

(Ref:- Board's letter No. E(P&A)I-77/RT-46 dated 9.11.1977, E(P&A)I-92/RT-5 dated 13.07.1992 (RBE No. 110/92)

Authority competent to accept notice.

11.2 Acceptance of the notice by the appointing authority is necessary, where the date of retirement of the Railway servant on the expiry of notice, would be earlier than the date on which he/she could have retired prematurely in terms of provisions of Rules 2046 (1)/1802 (b) – R.II or on completion of 30 years of service qualifying for pension in terms of rule 1803 (b) R.II. General Managers, Heads of Deptt and the Divisional Railway Managers have the authority to accept notice of voluntary retirement of Railway servants as mentioned below. Power should be exercised by the authorities personally.

(i) General Manager

(a) Group 'B' officers

(b) Group 'C' & 'D' Railway servants.

Where the period of notice is less than three months, he/she may in deserving cases accept the notice, exercising the authority in consultation with the FA&CAO.

(ii) Head of the Deptt.

Group 'C' & 'D' Railway servants working under his/her control in the Headquarters office, Extra-Divisional offices.

Where the notice is less than three months, he/she may accept the same in deserving cases, exercising his/her authority in consultation with the associate Finance.

(iii) Divisional Railway Manager.

Group 'C' & 'D' Railway servants working under his/her control.

Where the notice is less than three months, he/she may accept the same in deserving cases exercising his/her authority in consultation with the associate Finance.

11.3. Where proceedings under the Railway Servants (D&A) Rules are pending contemplated as for a major penalty against the Railway servant who has given notice of voluntary retirement and the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, is of the view that the penalty of removal or dismissal from service would be warranted in the case or in cases where prosecution is contemplated against the railway servant concerned or may have been launched in a Court of law acceptance of the notice would require the approval of the Minister in charge in regard to Group 'A' & 'B' railway servants and that of the General Manager in the cases of Group 'C' & 'D' railway servants. Therefore, in the cases of Group 'A' & 'B' officers, the General Manager, while making a reference to the Railway Board for advice, should indicate whether departmental/ vigilance/ SPE investigations or consequential DAR proceedings are pending or contemplated against the officers concerned for the imposition of a major penalty and whether removal or dismissal from service would be warranted in the case(s).
(Ref:-Board's letters No. E(P&A)I-77/RT-46 dated 9.11.1977 & 26.5.1980)

11.4 A railway servant giving notice of voluntary retirement the acceptance of which requires appointing authority's approval, may presume acceptance of the notice and the retirement shall be effective in terms of the notice, unless the competent authority issues an order to the contrary, before the expiry of the period of notice.
(Ref:-Board's letter No. E(P&A)I-77/RT-46 dated 9.11.1977)

11.5 In all other cases of Gazetted railway servants, where the approval of the Board/ Minister is necessary for acceptance of notice, the following instructions, should, be adhered to, in making reference to the Railway Board:

- (i) On receipt of a notice of voluntary retirement, it should be promptly forwarded, along with specific recommendations of the GM in regard to the acceptance of the notice. This action is to be taken within 2 weeks of the receipt of the notice, to ensure that the Ministry has adequate time to process the case and obtain Minister's approval.
- (ii) A clear certificate, duly vetted by the FA&CAO should be enclosed, certifying that the officer has completed the requisite period of qualifying service (service in the case of a PF optee) for serving a notice of voluntary retirement.
- (iii) No condition of any nature, whatsoever, should be attached to a notice of voluntary retirement. Such conditional notices should be rejected at the GM's level.
- (iv) While recommending the acceptance of the notice, the GM should also indicate whether any disciplinary proceedings are pending or are contemplated against the officer concerned for the imposition of major penalty. If the Railway has no information about any disciplinary proceedings which are pending or contemplated, this fact should be included in the recommendations. Similarly, the recommendation should mention whether prosecution is

contemplated or has been launched in a Court of law against the officer. If the Railway has no information about any prosecution contemplated or launched, this has also be to be mentioned in the recommendations.

9.1980

(v) If an officer desires that the notice should be accepted before the expiry of the stipulated period of 3 months, he/she should make it clear in the notice itself.

(vi) If an officer wishes to change the date of his/her voluntary retirement before acceptance of his/her notice, by the Competent Authority, he/she may write to the controlling officer withdrawing his/her earlier notice and serve a fresh notice.

(vii) If, after acceptance of the notice given, but before the expiry of the notice period, an officer finds that he/she requires some more time beyond the original stipulated date to proceed on retirement, he/she should apply for withdrawal of the notice served. He/she may again apply, giving fresh notice, only after the approval of the competent authority for withdrawal of the notice. In such cases, however adequate reasons should be recorded in support of the request for withdrawal of the notice. In the case of Group 'A' officers, since the President is the appointing authority, the approval of this Ministry is necessary for withdrawal of the notice served.

(viii) If, after acceptance by the competent authority for the withdrawal of the notice an officer again wishes to seek voluntary retirement on any future occasion, a fresh notice should be served at the appropriate time, keeping in view that this is again subject to Government's approval. Acceptance of an earlier notice does not mean automatic acceptance of the second notice.

(ix) A notice of voluntary retirement should not be lightly taken and should be served only after assessing all the pros and cons. In a case where too many changes are made in regard to intention to retire, withdrawal may not be permitted by the Government.

Withdrawal of notice.

11.6 A notice of voluntary retirement given by a railway servant may be withdrawn by him only with the approval of the appointing authority, provided the request for withdrawal is made before the expiry of the notice period irrespective of the fact that the competent authority has accepted his/her request for voluntary retirement.

[Ref:- Board's letters No. E(P&A)I-77/RT-46 dated 9.11.1977, No. E(P&A)I-90/RT-18 dated 6.11.1990 (RBE 196/1990 and E(P&A)I-2000/RT-9 dated 05.11.2001 (RBE No. 217/2001)]

11.7 The competent authority should consider the request for withdrawal of the notice for voluntary retirement in a reasonable and rational manner and refuse such a request only if there are valid reasons for doing so which should be recorded by way of a speaking order.
(Ref. Board's letter No. E(P&A)I-2000/RT-9 dated 27.03.2001(RBE No. 64/2001) & 05.11.2001 (RBE No. 217/2001.)

Effect of leave

11.8 If a railway servant seeks to retire voluntarily under the scheme of voluntary retirement while on 'leave not due' without actually returning to duty he/she shall retire with effect from the date of commencement of the 'leave not due', payment of leave salary made in respect of such 'leave not due' shall be recovered, from him/her as provided in Rule 528 Indian Railway Establishment Code, Vol. I/1985.

11.9 A railway servant giving notice of voluntary retirement may also apply, before the expiry of the notice period for the leave standing to his/her credit, which may be granted to him/her, to run concurrently with the period of notice. Extraordinary Leave is not termed as Leave standing to his/her credit and therefore, it cannot run concurrently with the period of Notice given by him/her for seeking voluntary retirement. In case, a Railway servant applies for voluntary retirement while already on extra-ordinary leave other than on medical ground, the notice period need not be insisted upon and his/her request may be accepted with immediate effect provided he/she is clear from vigilance angle. However, if a Railway servant while already on extra-ordinary Leave on medical grounds applies for voluntary retirement, the notice period, if any, given may be accepted and he/she may be allowed to retire after the expiry of the Notice period subject to vigilance clearance.

[Ref: Board's letters No. E(P&A)I-77/RT-46 dated 9.11.1977, E(P&A)I-77/RT-46 dated 22.8.1985 (RBE 239/1985) and E(P&A)I-78/CPC/FE-2 dated 17.1.1979 and Rly. Bd.'s letter No. E(P&A)I-2003/RT-4 dated 30.07.2003 (RBE No. 126/2003)]

Weightage towards qualifying service/service.

12. A railway servant retiring voluntarily is eligible to be granted weightage upto a maximum of five years as an addition to the qualifying service if he/she is pensionable and as an addition to service for purposes of payment of SC to PF if he/she is governed by SRPF (Contributory) Rules. The grant of weightage is, however, subject to the condition that the total qualifying service/service of the railway servant including the weightage should not in any case exceed 33 years and should not also extend beyond the date of his/her superannuation.

[Ref: Board's letters No. E(P&A)I-77/RT-46 dated 9.11.1977 & 9.11.1983]

12.1 Effective from 10.09.1983, the benefit of grant of weightage upto a maximum of five years as an addition to the qualifying service/service subject to the same conditions as given in para 10 above, is admissible to the railway servants seeking premature retirement under the provisions of rules 2046(i) or 2046(1) -R.11/1973 or Rule 66 of Railway Services (Pension) Rules, 1993, corresponding to rules 1802 (b)(i) or 1803(b) or 1804(b)-R.II/ 1987.

(Ref: Board's letters No. E(P&A)I-77/RT-46 dated 9.11.1977 & 9.11.1983)

12.2. The benefit of weightage will, however, not be admissible to the railway servants who are prematurely retired in the public interest in terms of Rules 2046-(h) or 2046-(k) R.II/1971 or Rule 66 of Railway Services (Pension) Rules, 1993 corresponding to rules 1802 (a), 1803(a)/1804(a) R.II/1987.

(Ref: Board's letter. No. E(P&A)I-77/RT-46 dated 9.11.1983)

2.3. The weightage given as an addition to the qualifying service/service will only be for purposes of payment of pension and gratuity/SC to PF and not for purposes of making government contribution to PF. The weightage will also not entitle the railway servant to any benefit of fixation of pay for purposes of calculating pensionary benefits or SC to PF, which will only be based on the actual emoluments calculated with reference to the date of retirement.

12.4 The weightage/ will, however, count towards post-retirement passes.
(Ref:- Board's letter No. E(P&A)I-77/RT-46 dated 9.11.1977)

Employees to whom the scheme of Voluntary Retirement will not apply

13. The scheme of voluntary retirement on completion of 20 years of qualifying service/service with benefit of weightage towards qualifying service/service will not be applicable to: -

- a. Railway servants on deputation to autonomous bodies and public sector undertakings who propose to get absorbed in the borrowing organisation.
- b. Railway servants on deputation to joint sector undertakings and who seek to get absorbed therein. (Joint Sector undertakings are undertakings under the joint control of the Central Govt, and a State Govt. or that of two or more State Governments)
- c. Railway servants including Scientists or Technical Experts, who are
 - (i). On assignment under the Technical & Economic Cooperation (ITEC) Programme of the Ministry of External Affairs and other aid programs:
 - (ii). Posted abroad in foreign based offices of the Ministries/ Departments, or
 - (iii). On a specific contract assignment to a foreign government.

They will be eligible to seek voluntary retirement only, after having been transferred to India, they have assumed charge of a post in India and served for a period of not less than one year.

However, the above restrictions of resuming the charge of the post in India and to serve for a period of not less than one year for seeking voluntary retirement will not be applicable in case of officers who are on deputation to the UN/International Organisations. In other words, the officers who are on deputation to the UN/International Organisations are eligible to seek voluntary retirement during the period of deputation or thereafter without any condition as specified in para (c) above.

(Ref.: Board's letter No. E(P&A)I-2004/RT/4 dated 05.07.2004 (RBE No. 142/2004))

13.1 The scheme, will, however, apply to railway servants who are on deputation to other Central Govt. Deptts., State Govt., Govt. of Union Territories. The notice of voluntary retirement of such railway servants should be forwarded to the parent Deptt. of the Railways for examination and acceptance or otherwise of the request. The weightage towards qualifying service/service would be given on the total service rendered by the Railway servant in the borrowing deptt. as well as the parent department.

2.3. The weightage given as an addition to the qualifying service/service will only be for purposes of payment of pension and gratuity/SC to PF and not for purposes of making Government contribution to PF. The weightage will also not entitle the railway servant to any benefit of fixation of pay for purposes of calculating pensionary benefits or SC to PF, which will only be based on the actual emoluments calculated with reference to the date of retirement.

12.4 The weightage/ will, however, count towards post-retirement passes.
(Ref:- Board's letter No. E(P&A)I-77/RT-46 dated 9.11.1977)

Employees to whom the scheme of Voluntary Retirement will not apply

13. The scheme of voluntary retirement on completion of 20 years of qualifying service/service with benefit of weightage towards qualifying service/service will not be applicable to: -

- a. Railway servants on deputation to autonomous bodies and public sector undertakings who propose to get absorbed in the borrowing organisation.
- b. Railway servants on deputation to joint sector undertakings and who seek to get absorbed therein. (Joint Sector undertakings are undertakings under the joint control of the Central Govt, and a State Govt. or that of two or more State Governments)
- c. Railway servants including Scientists or Technical Experts, who are
 - (i). On assignment under the Technical & Economic Cooperation (ITEC) Programme of the Ministry of External Affairs and other aid programs:
 - (ii). Posted abroad in foreign based offices of the Ministries/ Departments, or
 - (iii). On a specific contract assignment to a foreign government.

They will be eligible to seek voluntary retirement only, after having been transferred to India, they have assumed charge of a post in India and served for a period of not less than one year.

However, the above restrictions of resuming the charge of the post in India and to serve for a period of not less than one year for seeking voluntary retirement will not be applicable in case of officers who are on deputation to the UN/International Organisations. In other words, the officers who are on deputation to the UN/International Organisations are eligible to seek voluntary retirement during the period of deputation or thereafter without any condition as specified in para (c) above.

(Ref.: Board's letter No. E(P&A)I-2004/RT/4 dated 05.07.2004 (RBE No. 142/2004))

13.1 The scheme, will, however, apply to railway servants who are on deputation to other Central Govt. Depts., State Govt., Govt. of Union Territories. The notice of voluntary retirement of such railway servants should be forwarded to the parent Deptt. of the Railways for examination and acceptance or otherwise of the request. The weightage towards qualifying service/service would be given on the total service rendered by the Railway servant in the borrowing deptt. as well as the parent department.

Effect of

11.8 If retirement effect from respect of Indian Rai

11.9 A expiry of him/her, to Leave stan Notice giv for volunte the notice immediate servant w retirement, retire after
[Ref: Boar 22.8.1985 (letter No. 1

Weightage

12. A r maximum c an addition (Contributo total qualif any case superannual
[Ref: Boar

12.1 Effe years as an in para 10 a provisions c Rules, 1993
(Ref: Board

12.2. The are prematu or Rule rules 1802 (i
(Ref: Board

[Ref: Board's letters No. E(P&A)I-77/RT-46 dated 9.11.1977, E(P&A)I-7. 2.8.1985 (RBE 219/1985) & E(P&A)I-85/RT-14 dated 8.10.1985. (RBE 278/1

Temporary Railway Servants

14. Temporary railway servants who were in service as on 30.9.86 or their voluntary retirement on completion of 20 years or more of service are eligible proportionate pensionary benefits including Family pension, in accordance provisions of Pension Rules. The terms and conditions for retirement under Voluntary retirement will apply mutatis mutandis. Spells of service, which were as not qualifying for purposes of pension, shall be ignored. Interruptions, if any will amount to forfeiture of past service, unless condoned.

[Ref:- Board's letter No. E(P&A)I-85/FE-4/7 dated 7.11.1986 (RBE 216/1986

15. A railway servant who is continually sick/involved in accident or otherwise to remain on extra ordinary leave, after exhausting all the leave available and been medically incapacitated or decategorised, is eligible to give a notice retirement, if he/she desires to do so, simultaneously seeking curtailment of the period in full as well as the un-expired portion of the extraordinary leave sanctioned notice may be accepted and the railway servant retired with effect from the date on which the notice is served. The facility allowed herein will not apply premature retirement sought by railway servants in terms of the provisions of R.II/1973 Rule 1802 (b)(i), 1803(b)/1804(b) - R.II/1987 or Rule 66 of Railway (Pension) Rules, 1993.

[Ref: Board's letter No. E(P&A)I-86/RT-19 dated 29.4.1988. (RBE 91/1988)]

Other provisions

16. A temporary railway servant whose services have been terminated otherwise than as a penalty under the D&A Rules, is entitled to claim pay and lieu of notice period. It is the duty of the Administration to arrange for immediately on his/her discharge.

(Ref:- Board's letter No. E(NG)II/72/RG I dated 9.1.1975)

16.1 In the case of a railway servant under suspension, the exercise of the right to retire, in terms of the provisions of Rule 2046-R.II/ 1971/ 1802 (b), 1803(b) R.II/1987 or Rule 66 of Railway Services (Pension) Rules, 1993, will be, subject to approval of the appointing authority.

(Ref:- Board's letter No. E(D&A)65 RG 6-54 dated 18.8.1966 & Rule 66 of Railway Services (Pension) Rules, 1993)

16.2 There is no restriction on the right of a railway servant who is on foreign service with International Organisation (s)/ Foreign Government to seek premature retirement serving abroad, if he/she is eligible to do so.

(Ref:- Board's letter No. E(NG)II/76/RG I dated 17.1.1977)

RT-46 dated 1985]

13 A railway servant on deputation to Public Sector/autonomous body is eligible to seek premature retirement under Rule 2046-R.II/1973/ 1802 (b), 1803(b)/1804(b) R.II/ 1987 or Rule 66 of Railway Services (Pension) Rules, 1993, for absorption therein but without the benefit of weightage towards qualifying service/service.

fter, seeking the grant of (Ref:- Board's letter No. E(P&A)I-77/RT-46 dated 2.8.1985 (RBE 219/1985) & 15.10.1985 (RBE 284/1985))

e with the scheme of 16.4 Once a railway servant has retired voluntarily/ prematurely on his/her own option and be treated available to him/her under the Rules, the General Managers have no powers to re-employ him/her in service.

(Ref:- Board's letter No. E(P&A)I-77/RT-46 dated 29.5.1984)

compelled conduct of legal proceedings instituted against him/her by a private party in respect, of matters connected with his/her official duties or position before his/her retirement, as is voluntary admissible to a serving railway servant, except that:-

he notice (i). The benefit will not be admissible to those retired compulsorily as a measure of punishment; and

l. Such a (ii). The amount of interest free advance will be subject to a maximum limit of Rs. 500/-. (Bond should be obtained, wherever advance is granted and consultation with the UPSC, wherever required should be made).

on of the 2046 - (Ref:- Board's letter No. E(G)77 LL 1/3 dated 12.5.1977)

Services 16.6 Benefit of restructuring of cadre will be admissible to a retired railway servant, who was in service, on the crucial date for restructuring but had retired before the implementation of the restructuring order. The benefit will be admissible only for the first promotion, if the railway servant is otherwise eligible and suitable and he/she will not be eligible for any subsequent promotion, even if it was due in terms of the restructuring orders. Notional or proforma pay in the higher grade will be allowed and the same counted for assessment of the retirement benefits.

narily ces in ment [Ref:- Board's letter No. PC-III/85/UPG/15 dated 22.8.1986 (RBE 138/1986)]

her) R. 16.7 A railway servant retiring voluntarily under the scheme of voluntary retirement is entitled to travelling allowance as admissible to a railway servant proceeding on normal retirement.

rior (Ref:- Board's letter No. PC-III/78/TA 1/12 dated 12.6.1980)

ay 17. (i). While referring to this master circular, the original letters/ references mentioned herein should be read for a proper appreciation. This circular is only a consolidation of the existing instructions and should not be treated as a substitution of the original letters/ references. In case of doubt, the original letters/ references should be relied upon as authority.

nt le

(ii). The instructions contained in the original letters referred to, have only prospective application unless indicated otherwise; and

(iii). If any letter having a bearing on the subject, which has not been superseded has been lost sight of in the preparation of the master circular, the said letter which has been missed through oversight, should not be ignored but should be treated, as valid and operative.

18. The letters/ references relied upon for the preparation of the master circular has been indicated in the enclosure.

DA:- List showing the No. & date of letters/references relied upon.



(N P Singh)

Joint Director/E(P&A)

Railway Board

superseded,
h has been
operative.

r has been

P Singh)

/E(P&A)

ty Board

E(P&A)I-86/RT-19 dated 29.4.1988.

E(P&A)I-88/RT-25 dated 14.12.1988.

E(P&A)I-83/RT-20 dated 6.4.1989

E(P&A)I-90/RT-18 dated 6.11.1990

E(P&A)I-92/RT-5 dated 13.07.1992

E(P&A)I-94/RT-8 dated 8.5.95

E(P&A)I-98/RT-6 dated 14.5.1998

E(P&A)I-98/RT-6 dated 22.7.1998

E(P&A)I-2000/RT-9 dated 27.03.2001

E(P&A)I-2000/RT-9 dated 05.11.2001

E(P&A)I-2003/RT-4 dated 30.07.2003

E(P&A)I-2004/RT-4 dated 05.07.2004

E(P&A)I-2007/RT-8 dated 13.12.2007

F(E)III/2008/LE-1/2 dated 13.04.2010

E(P&A)I-2016/RT-16 dated 20.09.2018

E(G)99 RT1-1 dated 18.02.2000

Para 2603 – Indian Railway Establishment Manual

Rule 304 – Indian Railway Establishment Code Vol.-I/1985

Rule 550– Indian Railway Establishment Code Vol.-I/1985

Rule 66 of Railway Services (Pension) Rules, 1993

Rule 1801, 1802, 1803 & 1804 - IREC Vol. II/1987

List indicating the reference number and date of letters relied upon for preparing Master Circular.

<u>S. No.</u>	<u>Letter No. & Date</u>
1.	PC-62/RT-1 dated 5.12.1962.
2.	E(D&A)65 RG 6-54 dated 18.8.1966.
3.	PC-67/RT-9 dated 8.9.1967.
4.	PC-III/73/RT/4 dated 18.12.1973.
5.	PC-III/73/RT/4 dated 20.5.1974.
6.	PC-III/73/RT/4 dated 2.8.1974.
7.	E(NG)II/72/RG I dated 9.1.1975.
8.	F(E)III/75/LE 1/1 dated 20.5.1976.
9.	E(P&A)I-75/RT-15 dated 24.12.1976.
10.	E(NG)II/76/RG I dated 17.1.1977.
11.	E(G)77 LL 1/3 dated 12.5.1977.
12.	PC-III/73/RT/4 dated 6.6.1977.
13.	E(P&A)I-77/RT-46 dated 9.11.1977.
14.	F(X)I/75/11/8 dated 7.12.1977.
15.	E(G)78/RT 2/10 dated 3.7.1978.
16.	E(P&A)I-75/RT-15 dated 19.10.1978.
17.	E(P&A)I-78/CPC/FE-2 dated 17.1.1979.
18.	E(P&A)I-79/EM 1/2 dated 7.5.1979.
19.	E(P&A)I-79/RT-9 dated 8.6.1979.
20.	E(P&A)I-77/RT-46 dated 19.6.1979.
21.	E(P&A)I-79/JCM/DC-3 dated 5.9.1979.
22.	E(P&A)I-77/RT-46 dated 26.5.1980.
23.	PC-III/78/TA 1/12 dated 12.6.1980.
24.	E(P&A)I-77/RT-46 dated 12.9.1980.
25.	E(P&A)I-77/RT-46 dated 10.2.1981.
26.	E(P&A)I-81/RT-4 dated 1.6.1981.
27.	E(P&A)I-81/RT-11 (Pt. I) dated 25.10.1982.
28.	E(P&A)I-82/RT-16 dated 18.12.1982.
29.	E(P&A)I-77/RT-46 dated 21.5.1983.
30.	E(P&A)I-82/RT-4 dated 6.8.1983.
31.	E(P&A)I-83/RT-11 dated 3.11.1983.
32.	E(P&A)I-77/RT-46 dated 9.11.1983.
33.	F(E)III/82/LE 1/2 dated 29.12.1983.
34.	E(P&A)I-77/RT-46 dated 29.5.1984.
35.	E(P&A)I-77/RT-46 dated 28.5.1984.
36.	E(P&A)I-77/RT-46 dated 2.8.1985
37.	E(P&A)I-77/RT-46 dated 22.8.1985
38.	E(P&A)I-85/RT-14 dated 8.10.1985.
39.	E(P&A)I-77/RT-46 dated 15.10.1985.
40.	E(P&A)I-83/RT-20 dated 9.5.1984.
41.	PC-III/85/UPG/15 dated 22.8.1986.
42.	PC-IV/86/LE/1 dated 24.10.1986
43.	E(P&A)I-85/FE-4/7 dated 7.11.1986

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

ई(पी एंड ए)-2019/आरटी-10

नई दिल्ली, दिनांक: 09 सितंबर 2019

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:- सेवानिवृत्ति।

संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का दि.19.09.1991 का पत्र सं.ई(पी एंड ए)-91/आरटी-2/मास्टर सर्कुलर।

वर्तमान में, 'रेल सेवकों की सेवानिवृत्ति' विषय पर रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश विभिन्न पत्रों/परिपत्रों में समाविष्ट हैं। इस विषय पर अंतिम मास्टर परिपत्र बोर्ड के दिनांक 19.09.1991 के पत्र सं.ई(पी एंड ए)-91/आरटी-2/मास्टर सर्कुलर के तहत जारी किया गया था। रेलवे बोर्ड द्वारा सभी संबंधितों के सूचना और मार्गदर्शन के लिए इन अनुदेशों की समीक्षा करके इन्हें निम्नानुसार एकल अद्यतन मास्टर परिपत्र में समेकित करने का विनिश्चय किया गया है।

सामान्य:

2. सेवानिवृत्ति से आशय एक रेल कर्मचारी की सेवा समाप्त हो जाने से है। जिन विभिन्न तरीकों से रेल कर्मचारी की सेवाएं समाप्त हो सकती हैं, वे इस प्रकार हैं:-

- अधिवर्षिता पर सामान्य सेवानिवृत्ति;
- चिकित्सा की दृष्टि से अशक्त होने के कारण सेवानिवृत्ति;
- सार्वजनिक हित में समय-पूर्व किए गए सेवानिवृत्ति के आदेश; तथा
- स्वयं के विकल्प पर समय-पूर्व/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति।

क - सामान्य सेवानिवृत्ति

3. नीचे पैरा 3.1 तथा 3.2 में उल्लिखित कर्मचारियों को छोड़कर, प्रत्येक रेल कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु अर्थात् साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 14.05.1998 का पत्र सं.ई(पी एंड ए)-98/आरटी-6 (आरबीई सं. 103/98) और भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, वाल्यूम II/1987 का नियम 1801 (क)

3.1 रेलवे डिग्री कॉलेज, लालागुडा, दक्षिण मध्य रेलवे के लेक्चरर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 13.12.2007 का पत्र सं. ई(पी एंड ए)-2007/आरटी-8 (आरबीई सं.161/2007)

3.2. रेल मंत्रालय के अधीन आईआरएमएम से संबद्ध डाक्टरों और डेंटल डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बासठ (62) वर्ष होगी जब तक वे अपनी इच्छानुसार विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर क्लिनिकल पद पर तैनाती का विकल्प नहीं देते हैं कि वे पैंसठ (65) वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं। जैसा कि रेल मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाता है।
(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 20.09.2018 का पत्र सं.ई(पी एंड ए)/I-2016/आरटी-16 आरबीई सं.144/2018)

सामान्य सेवानिवृत्ति की तारीख

4. सेवानिवृत्ति की तारीख रेल कर्मचारी की जन्मतिथि पर आधारित होगी, जिसे उनकी सेवा पुस्तिका/सेवा रजिस्टर में दर्ज किया गया हो तथा निम्न प्रकार से दिखायी जाएगी:-

जन्म तिथि	60/62/65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति की तारीख
महीने की पहली तारीख	पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन का अपराहन।
महीने की कोई अन्य तारीख	उस महीने की आखिरी तारीख का अपराहन।

(संदर्भ: बोर्ड का 18.12.1973, 20.5.1974 और 2.8.1974 का पत्र सं. पीसी-III/73/आरटी/4 और दिनांक 20.02.2019 का सं.ई(पी एंड ए)/I-2016/आरटी-16 (आरबीई सं.30/2019).

4.1 सेवानिवृत्ति के अन्य मामलों में अर्थात् डाक्टरी दृष्टि से अनुपयुक्तता अथवा अशक्तता के कारण सेवानिवृत्ति, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति इत्यादि पर उपर्युक्त पैरा 4 में दिए गए प्रावधान लागू नहीं होंगे।

कार्यभार - छोड़ना

5. अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति स्वतः हो जाती है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके प्रतिकूल कोई विशेष आदेश न दिए गए हों, रेल कर्मचारी निर्धारित तारीख को ही सेवानिवृत्त होगा तथा वह इसका लाभ नहीं उठा सकता कि उसे उसकी सेवानिवृत्ति, कार्यभार मुक्ति इत्यादि से संबंधित औपचारिक आदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

यह सुनिश्चित करना संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है कि उनके नियंत्रणाधीन रेल कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर निर्धारित तारीख को सेवानिवृत्त होते हैं। रेल कर्मचारी को भी स्वयं चाहिए कि वह जिस कार्यालय में काम कर रहा है उसके प्रमुख की सूचना में इस तथ्य को लाए कि वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर रहा है तथा उसे निर्धारित तारीख को अपना कार्यभार, कार्यभार मुक्त करने वाले कर्मचारी अथवा किसी अन्य रेल कर्मचारी, जो नामांकित किया जाए, को सौंप दे।

(संदर्भ:- बोर्ड का 7.5.79 का पत्र सं.ई(पी एंड ए)/I-79/ईएम1/2)

5.1 संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेल कर्मचारियों के वैयक्तिक रिकार्डों को सदैव अद्यतन रखने के लिए उनके नियंत्रणाधीन तंत्र तत्पर रहें ताकि अधिवर्षिता की आयु के प्रश्नात्, अनियमित रूप से रेल कर्मचारी के सेवा में बने रहने की किसी भी संभाव्यता को रोका जा सके।

(संदर्भ: बोर्ड का दि. 3.7.78 का पत्र सं.ई(जी)/78/आरटी/2/10)

अंगुण्य के आधार पर रेल कर्मचारी को, उस महीने के अंतिम दिन के अपराहन को औपचारिक आयु तक सेवा करके सेवानिवृत्त होना चाहिए जिस महीने में उसे सेवानिवृत्त होना है, श्रेय दिया जाता है। जहां रोकड़/भंडार/सामग्री सौंपी जानी है, वहां सेवानिवृत्त होने वाले रेल कर्मचारी द्वारा इसे कार्यभार मुक्त करने वाले रेल कर्मचारी अथवा प्रशासन द्वारा नामांकित किसी अन्य रेल कर्मचारी को पिछले कार्य दिवस की समाप्ति पर सौंप दिया जाना चाहिए तथा वास्तविक कार्यभार महीने के आखिरी दिन (जो कि अवकाश है) सौंपा जाना चाहिए जिसके लिए इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए कि वह स्वयं भी कार्यालय में उपस्थित रहे।

जिसे उनकी सेवा के लिए रेलवे बोर्ड का 6.6.1977 का पत्र सं. पीसी-III/73/आरटी/4)

निलंबनाधीन रेल कर्मचारी की सेवानिवृत्ति

7. निलंबनाधीन पेंशनयोग्य रेल कर्मचारी को अधिवर्षिता की निर्धारित तारीख को सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए चाहे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जांच चल ही रही हो।

7.1 गैर-पेशानी रेल कर्मचारियों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी को गुण-दोष के आधार पर प्रत्येक मामले में एक विशिष्ट निर्णय लेना होगा कि निलंबनाधीन रेल कर्मचारी को अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् सेवा में बनाए रखा जाए अथवा नहीं। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, नीचे दी गई बातों को ध्यान में रखना होगा। केवल उन्हीं मामलों में, जहां बरखास्तगी की संभावना लगभग निश्चित हो जाए इस बात की बिल्कुल संभावना है कि कर्मचारी को भविष्य निधि में सरकार के अंशदान से इंकार किया जा सकता है, निलंबित रेल कर्मचारी को अधिवर्षिता की तारीख के बाद भी सेवा में बनाए रखा जा सकता है। अन्य मामलों में, जहां बरखास्त किए जाने की संभावना नहीं है, संबंधित रेल कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति हो जाएंगे बशर्ते कि भविष्य निधि में विशेष अंशदान रोक दिया जाए तथा भविष्य निधि नियमों के अनुसार भविष्य निधि में सरकार के अंशदान का निपटारा स्थगित रखा जाए जब तक कि किसी मामले विशेष में अपवादस्वरूप ऐसा करने की आवश्यकता न हो। तथापि ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई चालू रहेगी तथा शीघ्रता से उसे अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि ऐसी कार्यवाहियों में निश्चित की गयी दायित्वां भविष्य निधि में सरकारी अंशदान की उस राशि के अंतर्गत समायोजित की जा सकें, जिन्हें रोक दिया गया था। अधिवर्षिता की तारीख के पश्चात् रेल कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने के वैयक्तिक मामलों में अपवाद स्वरूप निर्णय करते समय, इन बातों पर समुचित ध्यान देना होगा कि ऐसे कर्मचारियों को निलंबन की अवधि के दौरान निर्वाह-भत्ता दिया जाना है तथा पूरा वेतन तथा भत्ता दिया जाना है जिसके लिए वे पात्र होंगे यदि उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से उन्हें पूर्णतया मुक्त कर दिया जाता है तथा भविष्य निधि नियमों के अनुसार कटौतियां भविष्य निधि में सरकारी अंशदान से केवल की जा सकती हैं।

(संदर्भ : भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, वाल्यूम-II/1987 पुनर्मुद्रित संस्करण 2005 के अंतर्गत बोर्ड के आदेशों के साथ पठित नियम 1801 (सी))

7.2 छुट्टी स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी औसत वेतन अवकाश और अर्ध औसत वेतन अवकाश दोनों के समतुल्य नकदी को पूर्णतः या आंशिक रूप से रोक सकता है यदि कोई रेल कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर उस समय सेवानिवृत्त हो जाता है जब वह निलंबनाधीन है अथवा जब उसके विरुद्ध अनुशासनिक या आपराधिक कार्रवाई चल रही हो, यदि ऐसे प्राधिकारी की राय से उस रेल कर्मचारी के विरुद्ध चल रही कार्यवाहियों की समाप्ति पर उससे कुछ

ख - शारीरिक अशक्तता अथवा असमर्थता के कारण सेवानिवृत्ति

8. जहां सक्षम प्राधिकारी यह समझे कि रेल कर्मचारी संक्रामक रोग अथवा मानसिक शारीरिक असमर्थता से पीड़ित है, जो कि उक्त प्राधिकारी की राय में उस रेल कर्मचारी द्वारा कार्य के कुशलता निर्वहन में बाधा डाल रहा है, तो उक्त प्राधिकारी, उस रेल कर्मचारी की डाक्टरी जांच कर सकता है। यदि डाक्टरी जांच में रेल कर्मचारी को नौकरी में बने रहने के अनुपयुक्त घोषित किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी डाक्टरी दृष्टि के आधार पर उन्हें अयोग्य ठहरा सकते हैं तथा सेवानिवृत्ति कर सकते हैं। यदि रेल कर्मचारी इयूटी पर हो तो मुक्त किए जाने की तारीख से वह सेवा के लिए अशक्त हो जाएगा और चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसकी अविलंब व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। तथापि, यदि चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर रेल कर्मचारी को छुट्टी स्वीकृत की जाती है अथवा वह पहले से ही छुट्टी पर है तो छुट्टी की समाप्ति/छुट्टी की बढ़ायी गयी अवधि, यदि कोई स्वीकृत की गयी है, की तारीख के बाद की तारीख से उनकी शारीरिक अशक्तता तथा सेवानिवृत्ति प्रभावी होगी।

(संदर्भ: भारतीय रेल स्थापना संहिता - पैरा 2603)

8.1 वे रेल कर्मचारी, स्थायी तथा अस्थायी दोनों ही, जो उनके द्वारा धारित पदों में नौकरी करने के लिए डाक्टरी दृष्टि से अनुपयुक्त घोषित कर दिए जाते हैं, परंतु उन पदों पर नौकरी करने के लिए उपयुक्त घोषित किए जाते हैं, जो निचली चिकित्सा कोटि में आते हैं, ऐसे पदों में सेवा में बने रहने के लिए पात्र हैं, जिनके लिए निम्न चिकित्सा कोटि अपेक्षित है। सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों को उनके निम्न चिकित्सा स्तर के अनुरूप पदों पर वैकल्पिक नियोजन प्रदान किया जाता है। लेकिन, जहां अस्थायी कर्मचारी ऐसी परिस्थितियों के कारण डाक्टरी दृष्टि से विकोटिकृत कर दिए जाते हैं, जो नियोजन के कारण तथा उसके दौरान उत्पन्न नहीं होती हैं और रेल कर्मचारियों को नियमों के अंतर्गत यथा स्वीकार्य स्वीकृत की गयी छुट्टी/बढ़ायी गयी छुट्टी/असाधारण छुट्टी की अवधि के अंदर वैकल्पिक नौकरी की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो कर्मचारियों को नौकरी से बरखास्त कर दिया जाना चाहिए। जहां वैकल्पिक नौकरी को पेशकश (एक या अधिक पेशकश) अस्वीकृत कर दी जाती है, संबंधित रेल कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर दिया जाना चाहिए।

(संदर्भ: भारतीय रेल स्थापना संहिता, वाल्यूम 1/1985-नियम 304)

8.2 किसी भी रेल कर्मचारी को, जिसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा आगे सेवा के लिए पूर्णतया तथा स्थायी तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतः ही नौकरी से उसकी अशक्तता की तारीख को देय तथा स्वीकार्य छुट्टी के लिए औसत छुट्टी वेतन और अर्ध औसत वेतन अवकाश दोनों के बराबर नकद राशि स्वीकृत की जाती है, जो अधिकतम 300 दिन और देय नकदी के समतुल्य होगी। जैसा कि नियम 550 के उप नियम (क) (1) (ख) में उल्लिखित है।

कोई रेल कर्मचारी, जो स्थायी अथवा अस्थायी रूप से 3 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, उन्हें नौकरी से उनकी अयोग्यता की तारीख को उनके नाम में जमा आधे वेतन के लिए अवकाश वेतन के बराबर राशि प्रदान नहीं की जाएगी।

रेलवे बोर्ड का दिनांक 13.04.2010 का पत्र सं. एफ(ई)III/2008/एलई-1/2)

समयपूर्व सेवानिवृत्ति

समयपूर्व सेवानिवृत्ति से आशय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पहले या तो उसकी स्वयं रा या इच्छा से अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जनहित में जारी किए गए आदेश के परिणामस्वरूप एक मांग कर रेल कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से है। यह रेल कर्मचारी द्वारा मांगी गया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति तथा न किय रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमों के अध्यक्षीन दंड के रूप में आदेशित अनिवार्य हैं तथा सेवानिवृत्ति से अलग है।

ह सेवा नियुक्ति करने वाले अधिकारी को यह अधिकार है कि वह जनहित में एक रेल कर्मचारी को भविलंब लिखित कोटियों में से किसी भी एक कोटि के अंतर्गत लिखित में उसे कम-से-कम तीन महीने र रेल नोटिस देकर अथवा उसके बदले उसे वेतन तथा भत्ते देकर सेवानिवृत्त कर सकता है:-

क. गुप "ए" अथवा "बी" सेवा अथवा पद पर मूल रूप से या अस्थायी आधार पर कार्य कर रहा वह रेल कर्मचारी, जिसने पैंतीस वर्ष की आयु से पहले सरकारी नौकरी में प्रवेश किया था, उसे पचपन वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात सेवानिवृत्त किया जा सकता है;

ख. किसी अन्य मामले में, उनकी उम्र 55 वर्ष होने के बाद।

ग. पेंशनयोग्य रेल कर्मचारियों की तीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने के बाद; और

घ. गैर-पेंशनयोग्य रेल कर्मचारियों की तीस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद।

(संदर्भ: स्थापना संहिता वाल्यूम II/1973 - नियम 2046(ज), 2046(ट) के अनुरूप स्थापना संहिता वाल्यूम II/1987 का नियम 1802(क), 1803(क), 1804(क) और रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 66)

9.2 रेल कर्मचारियों को भी उपर्युक्त पैरा 9.1 में यथा निर्धारित उन्हीं शर्तों पर उपयुक्त अधिकारी को तीन महीने की लिखित सूचना देकर समयपूर्व सेवानिवृत्ति लेने का अन्योन्य अधिकार है, अर्थात्

(क) गुप "ए" अथवा "बी" रेल कर्मचारी ने यदि पैंतीस वर्ष की आयु से पहले सेवा में प्रवेश किया हो तो वह पचास वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात सेवानिवृत्ति की मांग कर सकता है; यदि उसने पैंतीस वर्ष की आयु के बाद सेवा में प्रवेश किया हो तो वह पचपन वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सेवानिवृत्ति की मांग कर सकता है;

(ख) कोई अन्य रेल कर्मचारी पचपन वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्ति की मांग कर सकता है;

(ग) पेंशन योग्य रेल कर्मचारी तीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने के बाद सेवानिवृत्ति की मांग कर सकते हैं।

(घ) गैर-पेंशनी रेल कर्मचारी तीस वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद सेवानिवृत्ति की मांग कर सकते हैं।

(संदर्भ: स्थापना संहिता वाल्यूम II/1973 - नियम 2046 के अनुरूप स्थापना संहिता वाल्यूम II/1987 के नियम 1802(ख), 1803(ख), 1804(ख) और रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 66)

9.3 पेंशन योग्य रेल कर्मचारी को तीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने पर सेवानिवृत्त किए गए लिए अपेक्षित आदेश/अनुमति नियमतः तब तक जारी नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि रेल लेखा अधिकारी के परामर्श से यह बात सत्यापित नहीं हो जाती कि रेल कर्मचारी ने तीस वर्ष अर्हक सेवा पूरी कर ली है।

9.4 उपयुक्त अधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह निलंबनाधीन रेल कर्मचारी की अनुमति को रोक सकता है जो अपेक्षित नोटिस देकर समयपूर्व सेवानिवृत्ति चाहता है। उपर्युक्त अधिकारी को यह भी अधिकार है कि वह ऐसे रेल कर्मचारी जिसे सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस दे पश्चात निलंबित किया गया हो, को अनुमति देने से इंकार कर दे; परन्तु उक्त अधिकारी द्वारा अधिकार का प्रयोग दिए गए नोटिस की अवधि की समाप्ति से पूर्व किया जाएगा।
(संदर्भ: नियम 1802(ख), 1803(ख) तथा 1805 के नीचे भारत सरकार के आदेश सं. (3) - संहिता वाल्यूम II/1987, रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 66)

9.5 नियम 1802(ख) (1), 1803(ख) अथवा 1804(ख) - आर. II/1987 के अनुरूप नियम 204 अथवा 204(1)(आर. II)(1973) के अनुसार रेल कर्मचारी द्वारा मांगी गयी समयपूर्व सेवानिवृत्ति नोटिस की स्वीकृति के लिए किसी औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं है तथा रेल कर्मचारी नोटिस की तीन महीने की अवधि की समाप्ति पर स्वतः ही सेवानिवृत्त हुआ समझा जाएगा। निलंबनाधीन रेल कर्मचारियों के मामले में, जबकि नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को, निःसंदेह अनुमति रोकने का अधिकार है, फिर भी उनके द्वारा दिए गए तीन महीने के नोटिस की अवधि अंदर संबंधित रेल कर्मचारी को संसूचित करने में असफल रहने पर उनकी सेवानिवृत्ति की अनुमति को रोकने वाले आदेशों को सूचना अवधि की समाप्ति पर स्वतः ही उनकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी।
(संदर्भ:- बोर्ड का 1.6.81 का पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)1-81/आरटी-4 तथा 3.11.83 का पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)1-83/आरटी/11)

9.6 नियम 2046(i) अथवा नियम 2046(1) (स्थापना नियम आर. II 1987 संस्करण के नियम 1802(ख) एवं 1804(ख)/नियम 1803(ख)-आर. II के अनुरूप अथवा रेल सेवा (पेंशन) नियमावली 1993 के नियम 66) के अध्याधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस देने वाला रेल कर्मचारी केवल नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के विशेष आदेश पर ही सेवानिवृत्ति की अभीष्ट तारीख से पहले अपना नोटिस वापस ले सकता है।
[संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 6.11.1990 के पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)I-90/आरटी-18 (आरबीई 196/1990)]

9.7 रेल कर्मचारी को सेवानिवृत्त किए जाने के लिए तीन महीने का नोटिस दिया जा सकता है जब रेल कर्मचारी असाधारण अवकाश सहित अवकाश पर हो।
(संदर्भ: बोर्ड का 8.9.67 का पत्र सं. पीसी-67/आरटी/9)

10. यदि कोई रेल सेवक नियम 2046-आर. II/1973 के तदनुसार आईआरईसी वाल्यूम-II/1987 के नियम 1802, 1803, 1804 या रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 66 के अंतर्गत समयपूर्व सेवानिवृत्त हो जाता है और उसे तीन माह की सूचना के बदले वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार की सेवानिवृत्ति रेल सेवक को दिए गए वेतन और भत्ते की गणना उसके सेवानिवृत्ति के समय उसे प्राप्त वेतन और भत्तों में से केवल सांविधिक कटौतियों जैसे कि आयकर, को कम करके की गई है। रेल सेवक के पास बाकी अन्य सभी बकाए जैसे कि गृह

तक कि संबंधित नियमावली के तहत देय उपदान से वसूल करने के लिए छोड़ देने चाहिए। वेतन और भत्ते समयपूर्व सेवानिवृत्ति के आदेश के साथ एक साथ करना चाहिए। नोटिस की अवधि के दौरान किसी वेतनवृद्धि, यदि कोई हो, का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

कर्मचारी की सेवा के दिनांक 24.12.1976 और 19.10.1978 का पत्र सं.ई(पी एण्ड ए)-75/आरटी-15 और 14.12.1988 का पत्र सं.ई(पी एण्ड ए)-88/आरटी-25 (आरबीई 269/1988)]

रेल कर्मचारी जो लिखित में तीन महीने का निर्धारित नोटिस देने के पश्चात् तीस वर्ष की सेवा के पश्चात् परन्तु 60 वर्ष की आयु से पहले समयपूर्व सेवानिवृत्त हो जाता है, वह उसे मंजूर की जाने वाली सेवांत छुट्टी के लिए एकबारगी निपटारे के रूप में एकमुश्त यथा देय और छुट्टी वेतन तथा भत्तों, यदि कोई है, का पात्र है।

बोर्ड का दिनांक 5.9.79 का पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)-79/जेसीएम/डीसी-3 और दिनांक 14.05.1998 का पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)-98/आरटी-6)

जहां किसी रेल कर्मचारी, जो तीन महीने के नोटिस के बदले वेतन तथा भत्ते देकर समयपूर्व सेवानिवृत्ति हो गया हो, को समीक्षा करने पर इस शर्त पर बहाल किया जाता है कि बीच की अवधि अवकाश दिवस के रूप में समझी जाएगी, ऐसी अवधि के पहले तीन महीने इयूटी के रूप में तथा शेष अवधि अवकाश दिवस के रूप में समझी जाएगी। नोटिस के बदले पहले ही दिए जा चुके वेतन तथा भत्तों को वसूल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बोर्ड का दिनांक 25.10.1982 का पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)-81/आरटी-11(पार्ट I)

रेलों पर नियुक्ति से पूर्व की गयी मिलीटरी सेवा को यदि वेतन, वरिष्ठता, रा. रे. भविष्य नियम के लाभों को निर्धारित करने के प्रयोजन से ध्यान में रखा जाता है तो नियम 1802, 1803 और 1804-आर.11/1987 के अधीन समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए 30 वर्ष की सेवा की गणना करने के प्रयोजन के लिए भी उसे गिना जाएगा।

बोर्ड का दिनांक 6.8.1983 का पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)-82/आरटी-4)

जो रेल कर्मचारी समयपूर्व सेवानिवृत्त हो जाता है तथा जिसके पास रेलवे क्वार्टर है, उसे नोटिस की अवधि की समाप्ति की तारीख से एक महीने के लिए सामान्य किराए पर उस आवास को रखने की अनुमति दी जा सकती है। जहां नोटिस के बदले वेतन तथा भत्ते दिए गए हैं तथा कर्मचारी को छुट्टी स्वीकृत की जाती है, वहां छुट्टी की संपूर्ण अवधि के लिए सामान्य किराए पर आवास को रखने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन वह अवधि अधिक-से-अधिक 4 महीने होनी चाहिए। यदि छुट्टी एक महीने से कम हो अथवा यदि कोई भी छुट्टी स्वीकार्य नहीं है अथवा मंजूर नहीं की जाती है तो उस आवास को एक महीने के लिए सामान्य किराए पर रखने की अनुमति दी जा सकती है।

संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 7.12.1977 का पत्र सं.एफ(एक्स)/75/11/8]

10.5 समयपूर्व/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में:-

(I) (क) जो रेल कर्मचारी सरकार को नोटिस देकर सेवानिवृत्त होता है अथवा उसकी सेवा-शर्तों के अनुसार उसे नोटिस देकर या ऐसे नोटिस के बदले वेतन तथा भत्ता देकर सेवानिवृत्त किया जाता है, उसे छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतः ही उसके खाते में जमा औसत वेतन छुट्टी और अर्ध औसत वेतन दोनों के लिए छुट्टी वेतन के बराबर अधिकतम 300 दिनों की राशि

स्वीकृत की जा सकती है। देय समकक्ष राशि वही होगी जो नियम 550 के उप नियम (ए)(1)(ख) के अनुसार समान होगी।

(ख) पेंशन तथा पेंशन के समतुल्य अन्य सेवानिवृत्ति लाभ तथा पेंशन पर तदर्थ राहत/क्रमबद्ध राहत, अर्ध वेतन छुट्टी की अवधि, जिसके लिए नकदी के बराबर राशि देय है, यदि कोई हो, के लिए दिए गए छुट्टी वेतन में से घटा दी जाएगी।

(ग) इस विधि से परिकलित की गयी राशि का भुगतान एकबारगी निपटान के रूप में एकमुश्त कर दिया जाएगा। कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

बशर्ते कि यदि आधे वेतन के लिए अर्ध वेतन छुट्टी घटक पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कम पड़ता है तो अर्ध वेतन छुट्टी के समतुल्य राशि स्वीकृत नहीं की जाएगी;

बशर्ते कि एक रेल कर्मचारी, जिसे सरकार द्वारा नोटिस के बदले वेतन एवं भत्ता देकर सेवानिवृत्त कर दिया गया है, को उस अवधि के भीतर जिसके लिए उसे वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं, छुट्टी के लिए आवेदन कर सकता है और जहां उसे छुट्टी स्वीकृत की जाती है वहां छुट्टी वेतन केवल छुट्टी की अवधि के लिए स्वीकार्य होगा जिसमें वह अवधि शामिल नहीं होगी जिसके लिए नोटिस के बदले वेतन एवं भत्ते स्वीकृत किए गए हैं।

(ii) जहां रेल कर्मचारी की सेवाएं नोटिस देकर अथवा नोटिस के बदले उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार वेतन एवं भत्तों की अदायगी करके समाप्त की जाती है वहां छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतः ही सेवा की समाप्ति की तारीख को उसके लेखे में जमा औसत वेतन छुट्टी के लिए उसे समतुल्य राशि स्वीकृत की जाए बशर्ते कि यह अधिक से अधिक 300 दिन हो और देय के समतुल्य नगद राशि नियम 550 के उप नियम(क) (1) (ख) के अनुसार होगी। इस प्रकार परिकलित राशि का भुगतान एकबारगी निपटारे के रूप में एकमुश्त किया जाएगा। कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा। पुनर्नियोजित रेल कर्मचारियों के मामले में, समतुल्य नकद राशि लिए गए वेतन पर आधारित होगी और इसमें पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के बराबर पेंशन शामिल होगी।

(iii) सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजित रेल कर्मचारी उसके पुनर्नियोजन की समाप्ति पर छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वतः ही उसका पुनर्नियोजन समाप्त किए जाने की तारीख पर उसके खाते में औसत वेतन छुट्टी के लिए नकद राशि स्वीकृत की जाए जो अधिक से अधिक 300 दिन होनी चाहिए और इसमें वह अवधि भी शामिल है जिसके लिए सेवानिवृत्ति के समय छुट्टी के बदले नकद राशि स्वीकृत की गयी थी और समान देय राशि वही होगी जो नियम 550 के उप नियम (क) (1) (ख) में है।

(iv) यदि अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवा से सेवानिवृत्त होने वाला रेल सेवक निलंबित रहते हुए या उसके विरुद्ध अनुशासनिक या आपराधिक कार्यवाही लंबित होते हुए सेवानिवृत्त होता है और यदि ऐसे किसी प्राधिकारी की दृष्टि में, उसके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त होने पर उससे कुछ राशि वसूल किए जाने की संभावना हो तो छुट्टी स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी द्वारा औसत वेतन छुट्टी और अर्ध औसत वेतन दोनों के बराबर कुल या उसका कुछ हिस्सा रोका जा सकता है। कार्यवाही समाप्त होने पर वह रेलवे बकाया, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद इस प्रकार रोकी गई राशि प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

(संदर्भ:- रेलवे बोर्ड का 29.12.1983 का पत्र सं. एफ(ई)III/82/एलई और एफ(ई)III/2008/एलई-1/2 दिनांक 13.04.2010)

पत्र (ए)(1)(ख) न्यूनतम देने या सेवा छोड़ने के मामले में, रेल सेवक को छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा की समाप्ति की तारीख को उसके खाते में औसत वेतन छुट्टी के लिए उसके वेतन के आधे तक अधिकतम 150 दिनों के समतुल्य राशि स्वतः ही स्वीकृत कर दी जायेगी, के लिए

बोर्ड का दिनांक 29.12.83 का पत्र सं. एफ(ई)III/एलई 1/2 तथा दिनांक 13.04.2010 का पत्र सं. एफ(ई)III/2008/एलई-1/2 और 24.10.1986 का पीसीIV/86/एलई/1 (आरबीई 208/1986) और नियम 1985 के अन्तर्गत स्थापना संहिता वाल्यूम-I/1985)

लाभों के लिए

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर, रेल कर्मचारियों द्वारा बीस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर लेने के बाद, आनुपातिक पेंशन तथा उपदान/भविष्य निधि में आनुपातिक अंशदान तथा अर्हक सेवा/सेवा के लिए अधिकतम 5 वर्ष का लाभ देखते हुए 9.11.77 से उनके वेतन के बदले में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की एक योजना लागू की गयी है। इस योजना, जो पूर्णतः स्वैच्छिक है, रेल कर्मचारी को पहल करनी होती है और सरकार को अपनी ओर से रेल कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का आदेश देने का अन्योन्य अधिकार नहीं है।

बोर्ड का दिनांक 9.11.1977 का पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)I-77/आरटी-46)

जब रेल कर्मचारी की बीस वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी हो जाएगी तो उसे पिछले 10 वर्षों के औसत वेतन पर 50% का भी उसके लिए अधिक लाभकारी हो, प्रदान किया जाएगा।

बोर्ड का दिनांक 15.09.2008 का पत्र सं. एफ(ई)III/2008/पीएन1/13)

नोटिस देने की अवधि

11.1 बीस वर्ष की अर्हक सेवा/सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के इच्छुक रेल कर्मचारी को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी को देना चाहिए। पात्र मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी तीन महीने से कम का नोटिस भी स्वीकार कर सकता है और जब पेंशन योग्य रेल कर्मचारियों के मामले में ऐसे 3 माह से कम का नोटिस स्वीकार किया जाता है तो उसमें यह विशेष शर्त होनी चाहिए कि रेल कर्मचारी 3 माह के नोटिस की अवधि समाप्त होने से पहले अपने पेंशन के भाग के रूप में संराशीकरण के लिए आवेदन नहीं करेगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस देने से पहले रेल कर्मचारी उपयुक्त प्रशासनिक प्राधिकारी को पत्र भेजकर स्वयं को संतुष्ट कर ले कि उसने पेंशन के लिए अर्हक बीस वर्ष की सेवा भविष्य निधि में विशेष अंशदान के लिए बीस वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, जैसा भी मामला हो।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 9.11.1977 का पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)I-77/आरटी-46 और दिनांक 13.07.1992 का पत्र सं. ई(पी एण्ड ए)I-92/आरटी-5 (आरबीई सं. 110/92)

नोटिस स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

11.2 नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नोटिस स्वीकार करना आवश्यक है, जहां नोटिस की समाप्ति पर रेल कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख उस तारीख से पहले होगी, जिस तारीख को नियम 2046(1)/ 1802(बी)-आर.॥ अथवा नियम 1803(बी) आर.॥ के अनुसार पेंशन के लिए 30 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर वह समयपूर्व सेवानिवृत्त हो गया होता। महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष तथा मंडल रेल प्रबंधकों को यह अधिकार है कि वे रेल कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को

निम्नानुसार स्वीकार कर सकते हैं। शक्तियों का इस्तेमाल प्राधिकारियों द्वारा वैयक्तिक रूप से कि जाएगा।

(i) महाप्रबंधक

(क) ग्रुप "बी" अधिकारी

(ख) ग्रुप "सी" तथा "डी" रेल कर्मचारी

जहां नोटिस की अवधि तीन महीनों से कम हो, वहां पात्र मामलों में, वह वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हुए नोटिस स्वीकार कर सकता है।

(ii) विभागाध्यक्ष

मुख्यालयों तथा अतिरिक्त मंडल कार्यालयों में उनके, अधीन कार्यरत ग्रुप "सी" तथा ग्रुप "डी" रेल कर्मचारी

जहां नोटिस की अवधि तीन महीनों से कम हो, वहां, वह सहवित्त के परामर्श से पात्र मामलों में अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हुए नोटिस स्वीकार कर सकता है।

(iii) मंडल रेल प्रबंधक

उनके अधीन कार्यरत ग्रुप "सी" तथा ग्रुप "डी" रेल कर्मचारी

जहां नोटिस की अवधि तीन महीनों से कम हो, वहां, वह सहवित्त के परामर्श से पात्र मामलों में अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हुए नोटिस स्वीकार कर सकता है।

उपरिनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा सभी मामलों में नोटिस स्वीकार करना सतर्कता शाखा से तथा अ.अ.नि. की दृष्टि से क्लियरेंस मिलने के अधीन होगा।

(संदर्भ:- बोर्ड का दि. 19.06.79, 26.5.80, 12.9.80 तथा 10.2.81 का पत्र सं.ई(पीएंडए)।-77/आरटी-46)

11.3 जहां रेल कर्मचारी के विरुद्ध, जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस दिया है रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमों के अंतर्गत बड़े दंड की कार्यवाई लंबित है या करने का विचार है और अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समझता है कि ऐसे मामले या मामलों में सेवा से हटाने या बर्खास्त करने का दंड देना अपेक्षित होगा, जहां संबंधित रेल कर्मचारी के विरुद्ध अभियोजन चलाने का विचार है अथवा न्यायालय में चलाया गया है, वहां ग्रुप "क" तथा "ख" रेल कर्मचारियों के संबंध में नोटिस को स्वीकार करने के लिए प्रभारी मंत्री तथा ग्रुप "ग" तथा ग्रुप "घ" के मामलों में महाप्रबंधक की स्वीकृति अपेक्षित है। अतः ग्रुप "क" तथा "ख" अधिकारियों के मामले में, महाप्रबंधक सलाह के लिए रेलवे बोर्ड को पत्र भेजते समय यह उल्लेख करें कि क्या संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध बड़े दंड आरोपित करने के लिए विभागीय/सतर्कता/वि.पु.स्था. जांच अथवा परिणामी डीएआर कार्यवाहियां लंबित हैं या करने का विचार है और क्या इन मामलों में सेवा से हटाना या बर्खास्त करना अपेक्षित होगा।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 09.11.1977 एवं 26.5.1980 का पत्र सं. ई(पीएंडए)।-77/आरटी-46)

11.4 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस देने वाला रेल कर्मचारी, जिसे स्वीकार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है, यह मान सकता है कि नोटिस स्वीकार कर लिया गया है और नोटिस के अनुसार सेवानिवृत्ति प्रभावी मानी जाएगी जब तक नोटिस की अवधि की समाप्ति से पहले सक्षम प्राधिकारी इसके विपरीत आदेश जारी नहीं करता है।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 09.11.1977 का पत्र सं. ई(पीएंडए)।-77/आरटी-46)

निम्नानुसार स्वीकार कर सकते हैं। शक्तियों का इस्तेमाल प्राधिकारियों द्वारा वैयक्तिक रूप से कि जाएगा।

(i) महाप्रबंधक

(क) ग्रुप "बी" अधिकारी

(ख) ग्रुप "सी" तथा "डी" रेल कर्मचारी

जहां नोटिस की अवधि तीन महीनों से कम हो, वहां पात्र मामलों में, वह वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हुए नोटिस स्वीकार कर सकता है।

(ii) विभागाध्यक्ष

मुख्यालयों तथा अतिरिक्त मंडल कार्यालयों में उनके, अधीन कार्यरत ग्रुप "सी" तथा ग्रुप "डी" रेल कर्मचारी

जहां नोटिस की अवधि तीन महीनों से कम हो, वहां, वह सहवित्त के परामर्श से पात्र मामलों में अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हुए नोटिस स्वीकार कर सकता है।

(iii) मंडल रेल प्रबंधक

उनके अधीन कार्यरत ग्रुप "सी" तथा ग्रुप "डी" रेल कर्मचारी

जहां नोटिस की अवधि तीन महीनों से कम हो, वहां, वह सहवित्त के परामर्श से पात्र मामलों में अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हुए नोटिस स्वीकार कर सकता है।

उपरिनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा सभी मामलों में नोटिस स्वीकार करना सतर्कता शाखा से तथा अ.अ.नि. की दृष्टि से क्लियरेंस मिलने के अध्वधीन होगा।

(संदर्भ:- बोर्ड का दि. 19.06.79, 26.5.80, 12.9.80 तथा 10.2.81 का पत्र सं.ई(पीएंडए)।-77/आरटी-46)

11.3 जहां रेल कर्मचारी के विरुद्ध, जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस दिया है रेल कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियमों के अंतर्गत बड़े दंड की कार्यवाई लंबित है या करने का विचार है और अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह समझता है कि ऐसे मामले या मामलों में सेवा से हटाने या बर्खास्त करने का दंड देना अपेक्षित होगा, जहां संबंधित रेल कर्मचारी के विरुद्ध अभियोजन चलाने का विचार है अथवा न्यायालय में चलाया गया है, वहां ग्रुप "क" तथा "ख" रेल कर्मचारियों के संबंध में नोटिस को स्वीकार करने के लिए प्रभारी मंत्री तथा ग्रुप "ग" तथा ग्रुप "घ" के मामलों में महाप्रबंधक की स्वीकृति अपेक्षित है। अतः ग्रुप "क" तथा "ख" अधिकारियों के मामले में, महाप्रबंधक सलाह के लिए रेलवे बोर्ड को पत्र भेजते समय यह उल्लेख करें कि क्या संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध बड़े दंड आरोपित करने के लिए विभागीय/सतर्कता/वि.पु.स्था. जांच अथवा परिणामी डीएआर कार्यवाहियां लंबित हैं या करने का विचार है और क्या इन मामलों में सेवा से हटाना या बर्खास्त करना अपेक्षित होगा।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 09.11.1977 एवं 26.5.1980 का पत्र सं. ई(पीएंडए)।-77/आरटी-46)

11.4 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस देने वाला रेल कर्मचारी, जिसे स्वीकार करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है, यह मान सकता है कि नोटिस स्वीकार कर लिया गया है और नोटिस के अनुसार सेवानिवृत्ति प्रभावी मानी जाएगी जब तक नोटिस की अवधि की समाप्ति से पहले सक्षम प्राधिकारी इसके विपरीत आदेश जारी नहीं करता है।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 09.11.1977 का पत्र सं. ई(पीएंडए)।-77/आरटी-46)

रूप से किया

लाहकार एवं
कर सकता

अधीन

व मामलों

कर्मचारी

मामलों

खा से

गारटी-

चारी

और

मले

री

था

या

के

र

र

र

र

र

र

र

र

र

र

र

र

र

र

नियुक्त रेल कर्मचारियों के अन्य सभी मामलों में, जहां नोटिस स्वीकार करने के लिए अनुमोदन आवश्यक है, वहां रेलवे बोर्ड के साथ पत्र-व्यवहार करने में निम्नलिखित अनुपालन किया जाना चाहिए:

(i) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस प्राप्त होने पर, नोटिस स्वीकार करने के बारे में महाप्रबंधक की विशिष्ट सिफारिशों के साथ इसे तत्काल अग्रेषित किया जाए। यह कार्रवाई नोटिस प्राप्त होने के 2 सप्ताह के भीतर की जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मंत्रालय के पास मामले पर कार्रवाई करने तथा मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय है।

(ii) वि.स.एवं. मु.ले. अधि. द्वारा विधिवत विधीक्षित स्पष्ट प्रमाणपत्र संलग्न किया जाए जिसमें यह प्रमाणित किया जाए कि अधिकारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस देने के लिए अपेक्षित अर्हक सेवा (भविष्य निधि विकल्पी के मामले में सेवा) की अवधि पूरी कर ली है।

(iii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस के साथ किसी भी किस्म की कोई शर्त, जो भी हो, न लगाई जाए। ऐसे सशर्त नोटिस महाप्रबंधक के स्तर पर रद्द कर दिए जाने चाहिए।

(iv) नोटिस स्वीकार किए जाने की सिफारिश करते समय, महाप्रबंधक यह भी उल्लेख करें कि क्या संबंधित अधिकारी के विरुद्ध बड़ा दंड आरोपित करने के लिए कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है अथवा किए जाने का विचार है। यदि रेलवे को ऐसी किसी अनुशासनिक कार्यवाही के बारे में जानकारी नहीं है, जो लंबित है या किए जाने का विचार है, तो यह तथ्य सिफारिशों में शामिल किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, सिफारिश में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्या अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाने का विचार है या चला दिया गया है। यदि रेलवे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो सिफारिशों में इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

(v) यदि अधिकारी चाहता है कि 3 महीने की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले नोटिस स्वीकार कर लिया जाए तो उसे यह बात नोटिस में ही स्पष्ट कर देनी चाहिए।

(vi) यदि कोई अधिकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस स्वीकार किए जाने से पहले अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तारीख बदलना चाहता है तो वह नियंत्रण कार्यालय को अपना पहला नोटिस वापस लेने के लिए लिखे और नए सिरे से नोटिस दे।

(vii) यदि दिए गए नोटिस को स्वीकार करने के पश्चात् किंतु नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व, अधिकारी यह समझता है कि सेवानिवृत्ति पर जाने के लिए उसे मूल विनिर्दिष्ट तारीख के बाद कुछ और अधिक समय चाहिए तो उसे दिए गए नोटिस को वापिस लेने के लिए आवेदन करना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही वह नोटिस वापिस लेने के लिए नए सिरे से नोटिस देने के लिए पुनः आवेदन करे। बहरहाल, ऐसे मामलों में, नोटिस वापिस लेने के अनुरोध के समर्थन में पर्याप्त कारण रिकॉर्ड करें। ग्रुप 'क' अधिकारियों के मामले में, चूंकि राष्ट्रपति नियुक्त प्राधिकारी हैं, इसलिए दिए गए नोटिस की वापसी के लिए इस मंत्रालय का अनुमोदन आवश्यक है।

(viii) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस वापस लेने की स्वीकृति के पश्चात्, कोई अधिकारी भविष्य में पुनः स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है, आवश्यक है तो उपयुक्त समय पर नए सिरे से नोटिस दिया जाना चाहिए लेकिन यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि ऐसा सरकार के अनुमोदन के अध्यक्षीन ही किया जाएगा। पहले के नोटिस को स्वीकार करने का यह अर्थ नहीं है कि दूसरा नोटिस स्वतः ही स्वीकार कर लिया जाएगा।

(ix) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को हल्के तौर पर नहीं लेना चाहिए और सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के बाद ही दिया जाना चाहिए। ऐसे मामले में, जहां सेवानिवृत्ति होने के

इरादे के बारे में बहुत अधिक परिवर्तन किए जाते हैं, वहां हो सकता है कि सरकार द्वारा इसे वापस लेने की अनुमति न दी जाए।

नोटिस वापस लेना

11.6 रेल कर्मचारी द्वारा दिया गया स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस उसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से ही वापस लिया जा सकता है, बशर्ते कि इसे वापस लेने का अनुरोध नोटिस की अवधि की समाप्ति से पहले किया जाए, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि सक्षम प्राधिकारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

[संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 09.11.1977 का पत्र सं. ई(पीएंडए)।-77/आरटी-46, दिनांक 06.11.1990 का पत्र सं. ई(पीएंडए)।-99/आरटी-18 (आरबीई 196/1990) और दिनांक 05.11.2001 का पत्र सं. ई(पीएंडए)।-2000/आरटी-9 (आरबीई सं. 217/2001)]

11.7 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए दिए गए नोटिस को वापस लेने के अनुरोध पर तर्कसंगत और तर्कयुक्त औचित्यपूर्ण तरीके से विचार किया जाना चाहिए और इस प्रकार के अनुरोध को तभी अस्वीकार करेगा, जब ऐसा करने के वैध कारण मौजूद हों, जो व्याख्यात्मक आदेश के माध्यम से रिकॉर्ड किए जाने चाहिए।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 27.03.2001 का पत्र सं.ई(पीएंडए)।-2000/आरटी-9, (आरबीई सं. 64/2001) एवं 05.11.2001 (आरबीई सं.217/2001)

छुट्टी का प्रभाव

11.8 यदि कोई रेलवे कर्मचारी वास्तविक रूप से बिना इयूटी पर वापस लौटे 'छुट्टी देय नहीं' पर होते समय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्ति की मांग करता है तो वह 'छुट्टी देय नहीं' के आरंभ होने की तारीख से सेवानिवृत्त हो जाएगा और ऐसी 'छुट्टी देय नहीं' के लिए किए गए छुट्टी वेतन के भुगतान को उससे वसूल किया जाएगा जैसा भारतीय रेल स्थापना संहिता वॉल. I/1985 के नियम 528 में उल्लेख किया गया है।

11.9 ऐसा रेल कर्मचारी, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस देता है, वह अपने खाते में जमा छुट्टी के लिए नोटिस की अंतिम तारीख से पूर्व आवेदन कर सकता है, जो उसे नोटिस की अवधि के साथ-साथ प्रदान की जाएगी। असाधारण छुट्टी को कर्मचारी के खाते में जमा छुट्टी के रूप में नहीं माना जाता है और इसलिए यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगे जाने के लिए कर्मचारी द्वारा दिए गए नोटिस की अवधि के साथ-साथ नहीं चलाई जा सकती है। यदि कोई रेल कर्मचारी चिकित्सा अवकाश के अलावा पहले से ही असाधारण छुट्टी पर होते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करता है तो नोटिस अवधि पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता नहीं है और उसके अनुरोध को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया जाए बशर्ते वह कर्मचारी सतर्कता के दृष्टिकोण से क्लियर हो। बहरहाल, यदि कोई रेल कर्मचारी चिकित्सा आधार पर पहले से ही असाधारण छुट्टी पर होते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करता है तो नोटिस अवधि, यदि कोई दी गई हो, उसे स्वीकार किया जाए और कर्मचारी को सतर्कता स्वीकृति के अध्यधीन नोटिस अवधि के समाप्त होने के पश्चात् सेवानिवृत्ति दे दी जाए।

[संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 09.11.1977 का पत्र सं. ई(पीएंडए)।-77/आरटी-46, दिनांक 22.08.1985 (आरबीई सं. 239/1985) और दिनांक 17.01.1979 का पत्र सं. ई(पीएंडए)।-78/सीपीसी/एफई-2 और रेलवे बोर्ड का दिनांक 30.07.2003 का पत्र सं. ई(पीएंडए)।-2003/आरटी-4 (आरबीई सं. 126/2003)]

अर्हक सेवा/सेवा के प्रति वेटेज

स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो रहा रेल कर्मचारी अर्हक सेवा को जोड़े जाने के रूप में अधिकतम पांच वर्ष तक की भारिता प्रदान किए जाने के लिए पात्र है, यदि वह पेंशनीय है और द्वारा नियुक्ति से पीएफ के भुगतान के प्रयोजन के लिए सेवा में जोड़े जाने के रूप में, यदि वह एसआरपीएफ लेने का अनुरोध करता है। नियमों द्वारा शासित है। बहरहाल, यह लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि लाभ सहित बिना कि संक्षेप में कुल अर्हक सेवा/सेवा किसी भी स्थिति में 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसकी अधिवार्षिता की तारीख से आगे भी नहीं बढ़नी चाहिए।

6.11.1990 का संदर्भ बोर्ड का दिनांक 09.11.1977 एवं 9.11.1983 का पत्र सं. ई(पीएंडए)।-77/आरटी-46) का पत्र सं.

12.1 10.09.83 से प्रभावी, अर्हक सेवा/सेवा में संयोजन के रूप में अधिकतम पांच वर्ष का जो वेटेज दिया जाएगा उसका लाभ उन्हीं शर्तों के अधीन होगा, जो ऊपर पैरा 10 में दी गयी है, पस लेने के समयपूर्व सेवानिवृत्ति चाहने वाले रेल कर्मचारियों को नियम 2046(i) अथवा 2046(1)-आर.11/1973 पर इस प्रकार तदनुसारी नियम 1802(ख)(i) अथवा 1803(ख) अथवा 1804(ख)-आर.11/1987 अथवा रेल सेवा नियमावली, 1993 का नियम 66 के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य है।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 9.11.1977 एवं 9.11.1983 का पत्र सं. ई(पीएंडए)।-77/आरटी-46)

64/2001)

12.2 बहरहाल, वेटेज का लाभ उन रेल कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं होगा जिन्हें नियम 2046-अथवा 2046-(के) आर.11/1971 के तदनुसारी नियम 1802(ख)(i) अथवा 1803(क) अथवा 1804(क)-आर.11/1987 अथवा रेल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1993 के नियम 66 के अनुसार सर्वजनिक हित में समयपूर्व सेवानिवृत्ति कर दिया जाता है।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 9.11.1983 का पत्र सं. ई(पीएंडए)।-77/आरटी-46)

12.3 अर्हक सेवा/सेवा में संयोजन के रूप में दिया गया वेटेज पेंशन एवं उपदान/भविष्य निधि में विशेष अंशदान के भुगतान के प्रयोजन के लिए ही होगा और यह भविष्य निधि में सरकार अंशदान के प्रयोजन के लिए नहीं होगा। वेटेज देने से कर्मचारी पेंशनीय लाभ या भ.नि. में वि.अ. आकलित करने के उद्देश्य से वेतन के निर्धारण के लाभ का पात्र नहीं होगा जो केवल सेवानिवृत्ति की तारीख के संदर्भ में परिकलित की गयी वास्तविक परिलब्धियों पर आधारित होगा।

12.4 बहरहाल, वेटेज सेवानिवृत्ति के पश्चात् मिलने वाले पासों के लिए गिना जाएगा।

(संदर्भ:- बोर्ड का दिनांक 9.11.1977 का पत्र सं. ई(पीएंडए)।-77/आरटी-46)

वे कर्मचारी जिन पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू नहीं होती है।

13. अर्हक सेवा/सेवा के लिए वेटेज के लाभ सहित 20 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी:-

(क) स्वायत्त निकायों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गए वे रेल कर्मचारी जो उधार लेने वाले संगठन में समाहित होना चाहते हैं।

(ख) वे रेल कर्मचारी जो संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा उनमें समाहित होना चाहते हैं। (संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम वे उपक्रम हैं जो केन्द्र सरकार तथा एक राज्य सरकार अथवा दो या जो से अधिक राज्य सरकारों के संयुक्त नियंत्रणाधीन हैं)।

(ग) वैज्ञानिकों अथवा तकनीकी विशेषज्ञों सहित वे रेल कर्मचारी जो-

- (i) विदेश मंत्रालय के तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम दूसरे सहायता कार्यक्रमों के अधीन नियुक्ति पर है।
- (ii) मंत्रालयों/विभागों के विदेशों में स्थित कार्यालयों में तैनात है, अथवा
- (iii) विदेशी सरकार में एक विशिष्ट ठेका अनुबंध पर हैं।

वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के तभी पात्र होंगे जब उन्हें भारत में स्थानांतरित कर जाता है। वे भारत में पद का कार्यभार ग्रहण कर लेते हैं तथा कम-से-कम एक वर्ष की अवधि नौकरी कर लेते हैं।

बहरहाल, यूएन/अंतरराष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के मामले में भारत पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उक्त प्रतिबंध और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक वर्ष से अवधि लागू नहीं होगी। दूसरे शब्दों में जो अधिकारी यूएन/अंतरराष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनियुक्ति हैं, वे उक्त पैरा (ग) में यथा विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त के बिना प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उसके बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने के लिए अर्हक हैं।

(बोर्ड का दिनांक 05.07.2004 का पत्र सं. ई(पीएंडए)-1-2004/आरटी-4 (आरबीई सं. 142/2004)

13.1 बहरहाल, यह योजना उन रेल कर्मचारियों पर लागू होगी जो केन्द्र सरकार के दूसरे विभाग राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेशों की सरकारों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे रेल कर्मचारियों स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस का अनुरोध जांच तथा स्वीकृति के लिए अन्यथा रेलवे के मंत्रालय विभाग को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अर्हक सेवा/ सेवा के लिए वेटेज रेल कर्मचारी द्वारा उधारे लेने वाले विभाग तथा मूल विभाग में की गयी कुल सेवा पर दिया जाएगा।

(संदर्भ: बोर्ड के 9.11.77, 2.8.85 का पत्र सं.ई (पी एंड ए)1-77/आरटी/46 (आरबीई 219/1985) एवं 8.10.85 का पत्र सं.ई(पी एंड ए)1-85/आरटी/14 (आरबीई 278/1985)

अस्थायी रेल कर्मचारी

14. वे अस्थायी रेल कर्मचारी, जो 30.9.86 अथवा उसके पश्चात सेवा में थे, तथा 20 वर्ष अथवा अधिक की सेवा पूरी हो जाने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहते हैं, पेंशन नियमों के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक पेंशन सहित आनुपातिक पेंशनीय लाभ पाने के पात्र हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के लिए शर्तें यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगी। सेवा की उस अवधि को छोड़ दिया जाएगा जो पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हक नहीं समझी जाएगी। सेवा में व्यवधान, यदि हो, से पिछली सेवा अपवर्तित हो जाएगी जब तक उसे माफ नहीं कर दिया जाता है।

(संदर्भ:- बोर्ड का 7.11.86 का पत्र सं. ई (पी एंड ए) 1-85/एफई-4/7(आरबीई 216/1986)

15. वह रेल कर्मचारी, जो लगातार बीमार है/ उसके साथ दुर्घटना हो गई है या अन्यथा सभी उपलब्ध छुट्टियों को समाप्त करने के पश्चात असाधारण छुट्टी पर रहने के लिए बाध्य है, तथा जो शारीरिक दृष्टि से अशक्त या विकोटिकृत नहीं है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस दिए जाने का पात्र है, यदि वह ऐसा करने का इच्छुक है तथा साथ ही साथ नोटिस की संपूर्ण अवधि और स्वीकृत असाधारण छुट्टी के असमाप्त हिस्से में कटौती चाहता है। ऐसा नोटिस स्वीकार किया जा सकता है तथा रेल कर्मचारी को उस तारीख के अपराहन से सेवानिवृत्त किया जा सकता है जिस तारीख को नोटिस दिया गया है। नियम 2046-आर.11/ 1973/नियम/1802 (बी)(I), 1803 (बी)/1804 (बी)-आर.11/1987 अथवा रेलवे सेवा (पेंशन) नियमावली 1993 के नियम 66 के

कार्यक्रम तत्पश्चात् के अनुसार समयपूर्व सेवानिवृत्ति चाहने वाले रेल कर्मचारियों के मामले में यहां दी गयी जानकारी लागू नहीं होगी।

बोर्ड का 29.4.88 का पत्र सं.ई (पी एंड ए) 1-36/आरटी/19(आरबीई 91/1988)

त कर दि

अवधि तत्पश्चात् वह अस्थायी रेल कर्मचारी, जिसकी सेवाएं अनुशासन एवं अपील नियमों के अध्यक्षीन दंड के बिना न होकर अन्य प्रकार से सरसरी तौर पर समाप्त की गयी है, नोटिस की अवधि के बदले में न्याय मंत्रों के लिए दावा करने का पात्र है। यह प्रशासन का कर्तव्य है कि वह उसके सेवा से होने पर तत्काल भुगतान की व्यवस्था करें।

वर्ष से का
नियुक्ति प
दौरान य

नियम 2046-आर.11/1973/1802 (बी), 1803 (बी), 1804 (बी) आर.11/1987 अथवा रेलवे सेवा (पेंशन) नियमावली 1993 के नियम 66 के अनुसार सेवानिवृत्ति के लिए उसके द्वारा अधिकार का प्रयोग नियुक्ति करने वाले के पूर्व अनुमोदन के अध्यक्षीन किया जाएगा।

विभागों
रियों की

के मूल
रा उधार

अंतरराष्ट्रीय संगठनों/विदेशी सरकार में नौकरी करने वाले रेल कर्मचारी के इस अधिकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि विदेश में सेवा के दौरान वह समयपूर्व सेवानिवृत्ति चाहता है यदि वह ऐसा कर पात्र है। (संदर्भ:- बोर्ड का 17.1.1977 का पत्र सं.ई(एनजी)11/76/आरजी1)

अथवा
नों के
वृत्ति

उस
ग में
है।

भी
जो
ाने
ौर
जा
स
3
ह

16.5 सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी सरकारी ड्यूटी या पद से संबंधित मामलों के बारे में प्राइवेट पार्टी द्वारा उसके विरुद्ध शुरू की गई कानूनी कार्यवाहियों को हल करने के लिए कानूनी और वित्तीय सहायता उसी तरह उपलब्ध करायी जाए जैसी सेवारत रेल कर्मचारी को उपलब्ध करायी जाती हैं लेकिन इसमें निम्नलिखित मामले शामिल नहीं होंगे:-

- (i) यह लाभ उन कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं होगा जिन्हें दंड के उपाय के रूप में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है; और
- (ii) ब्याज रहित अग्रिम की राशि अधिक-से-अधिक 500 रुपये होगी (जहां-कहीं अग्रिम स्वीकृत किया जाता है वहां बंध-पत्र प्राप्त किए जाएं और जहां-कहीं अपेक्षित हो वहां संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए)

(संदर्भ: बोर्ड का 12.5.1977 का पत्र सं.ई(जी)/77/एलएल1/3)

16.6. संवर्ग की पुनर्संरचना का लाभ उस सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी को स्वीकार्य होगा पुनर्संरचना की निर्णायक तारीख को सेवा में था लेकिन पुनर्संरचना आदेशों को कार्यान्वित करने पहले सेवानिवृत्त हो गया था। यह लाभ केवल पहली पदोन्नति के लिए दिया जाएगा। यदि रेल कर्मचारी अन्यथा पात्र और उपयुक्त हो और वह किसी अनुवर्ती पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा चाहे यह पदोन्नति पुनर्संरचना आदेशों के अनुसार दी जानी थी। उच्च ग्रेड में नोशनल या प्रोफार्म वेतन स्वीकार्य होगा और सेवानिवृत्ति लाभ के निर्धारण के लिए इसे परिकलित किया जाएगा।
(संदर्भ: बोर्ड का 22.8.1986 का पत्र सं. पीसी-III/85/यूपीजी/15 (आरबीई 138/1986))

16.7 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने वाला रेल कर्मचारी यात्रा भत्ते के लिए वैसे ही हकदार है जैसा सामान्य सेवानिवृत्ति पर जाने वाला कर्मचारी हकदार है।
(संदर्भ: बोर्ड का 12.6.1980 का पत्र सं. पीसी-III/78/टीए-1/12)

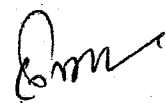
17. (1) इस मास्टर परिपत्र को पढ़ते समय सही मूल्यांकन के लिए इसमें उल्लिखित मूलपत्रों/संदर्भों को पढ़ा जाए। यह परिपत्र मौजूदा अनुदेशों का संकलन मात्र है। ऐसा न समझा जाए कि यह मूल पत्रों के बदले में है। संदेह की स्थिति में मूल परिपत्र को प्रामाणिक मानकर इस पर भरोसा किया जाए।

(2) जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, तो मूल पत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेश उनके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(3) यह समेकित पत्र तैयार करते समय, यदि इस विषय पर किसी परिपत्र को, जिसका अधिक्रमण नहीं किया गया है, ध्यान में नहीं लिया गया हो तो गलती से छूट गए उस परिपत्र की अनदेखी न की जाए और उसे वैध तथा प्रभावी माना जाए।

18. इस मास्टर परिपत्र को तैयार करने के लिए जिन पत्रों/संदर्भों को ध्यान में रखा गया है उनका उल्लेख अनुबंध में किया गया है।

संलग्न: पत्र सं. तथा तारीख दर्शाने वाली सूची।



(एन.पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक, स्थापना (पी एंड ए)

रेलवे बोर्ड

स्वीकार्य होगा जिनके संदर्भ संख्या और तारीख दर्शाने वाली सूची, जिनके आधार पर मास्टर परिपत्र तैयार किया जायेगा।

निर्यान्वित करने
जाएगा। यदि रेल
पात्र नहीं होगा
शनल या प्रोफाम
जाएगा।

या रेल कर्मचारी
री हकदार है।

में उल्लिखित
समझा जाए
कर इस पर

नृदेश उनके

1, जिसका
परिपत्र की

है उनका

सिंह)
ड ए)
बोर्ड

संख्या	तारीख
प्री एंड ए 62/आरटी-1	05.12.62
प्री एंड ए 65 आरजी 6/54	18.8.66
प्री एंड ए 70/आरटी-9	08.09.67
प्री एंड ए 73/आरटी-4	18.12.73
प्री एंड ए 73/आरटी-4	20.5.74
प्री एंड ए 73/आरटी-4	02.8.74
प्री एंड ए 72/आर जी)	09.01.75
प्री एंड ए 75/एलई 1/1	20.05.76
प्री एंड ए 1-75/आरटी-15	24.12.76
प्री एंड ए 76/आरजी 1	17.01.77
प्री एंड ए 77/एलएल1/3	12.05.77
प्री एंड ए 73/आरटी/4	06.06.77
प्री एंड ए 1-77/आरटी/46	09.11.77
प्री एंड ए 1/75/11/8	07.12.77
प्री एंड ए 78/आरटी/2/10	03.07.78
प्री एंड ए 1-75/आरटी-15	19.10.1978
प्री एंड ए 1-78 / सीपीसी / एफई-2	17.1.1979
प्री एंड ए 1-79 / ईएम 1/2	07.5.1979
प्री एंड ए 1-79 / आरटी-9	08.6.1979
प्री एंड ए 1-77 / आरटी-46	19.6.1979
प्री एंड ए 1-79 / जेसीएम / डीसी-3	05.9.1979
प्री एंड ए 1-77 / आरटी-46	26.5.1980
प्री एंड ए 111/78 / टीए 1/12	12.6.1980
प्री एंड ए 1-77 / आरटी-46	12.9.1980
प्री एंड ए 1-77 / आरटी-46	10.2.1981
प्री एंड ए 1-81 / आरटी-4	01.6.1981
प्री एंड ए 1-81 / आरटी-11 (पार्ट I)	25.10.1982
प्री एंड ए 1-82 / आरटी -16	18.12.1982
प्री एंड ए 1-77 / आरटी-46	21.5.1983
प्री एंड ए 1-82 / आरटी-4	06.8.1983
प्री एंड ए 1-83 / आरटी -11	03.11.1983
प्री एंड ए 1-77 / आरटी-46	09.11.1983
प्री एंड ए III / 82 / एलई 1/2	29.12.1983
प्री एंड ए 1-77 / आरटी-46	29.5.1984
प्री एंड ए 1-77 / आरटी-46	28.5.1984
प्री एंड ए 1-77 / आरटी-46	2.8.1985
प्री एंड ए 1-77 / आरटी-46	22.8.1985
प्री एंड ए 1-85 / आरटी-14	22.8.1985
प्री एंड ए 1-77 / आरटी-46	15.10.1985
प्री एंड ए 1-83 / आरटी-20	9.5.1984

41.	पीसी- III / 85 / यूपीजी / 15	22.8.1986
42.	पीसी- IV / 86 / एलई / 1	24.10.1986
43.	ई (पी एंड ए) I-85 / एफई-4/7	7.11.1986
44.	ई (पी एंड ए) I-86 / आरटी-19	29.4.1988
45.	ई (पी एंड ए) I-88 / आरटी-25	14.12.1988
46.	ई (पी एंड ए) I-83 / आरटी-20	06.04.1989
47.	ई (पी एंड ए) I-90 / आरटी-18	6.11.1990
48.	ई (पी एंड ए) I-92 / आरटी-5	13.07.1992
49.	ई (पी एंड ए) I-94 / आरटी-8	8.5.1995
50.	ई (पी एंड ए) I-98 / आरटी-6	14.5.1998
51.	ई (पी एंड ए) I-98 / आरटी-6	22.7.1998
52.	ई (पी एंड ए) I- 2000 / आरटी-9	27.3.2001
53.	ई (पी एंड ए) I- 2000 / आरटी-9	05.11.2001
54.	ई (पी एंड ए) I- 2003 / आरटी-4	30.07.2003
55.	ई (पी एंड ए) I- 2004 / आरटी-4	05.07.2004
56.	ई (पी एंड ए) I- 2007 / आरटी-8	13.12.2007
57.	एफ (ई) III/2008/एलई-1/2	13.04.2010
58.	ई (पी एंड ए) I- 2016 / आरटी-16	20.09.2018
59.	ई (जी) 99 आरटी-1	18.02.2000
60.	भारतीय रेल स्थापना नियमावली- पैरा-2603	
61.	भारतीय रेल स्थापना कोड वॉल्यूम I/1985	
62.	भारतीय रेल स्थापना कोड वॉल्यूम I/1985	
63.	रेल सेवा (पेंशन) नियम 1993 के नियम 66, 1993	
64.	आईआरईसी वॉल्यूम-II/1987 के नियम 1801, 1802, 1803 और 1804	